



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की चालीसवीं रिपोर्ट, 17वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SMT. NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 40TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2021-22), 17TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.

अगस्त, August, 2022

विषय- सूची		INDEX	
क्रम संख्या	विषय वस्तु	SI No.	Page No.
1.	श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	1. Statement by Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance	i
2.	अनुबंध - दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं लोक उद्यम तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग) की 2022-23 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की चालीसवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट।	2. Annexure – Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 40th Report of the Standing committee on Finance on Demands for Grants 2022-23 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 22nd March, 2022.	39-66
3.	अनुबंध- II	3. Annexure-II	67
4.	अनुबंध- III	4. Annexure-III	68

श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 73-क के तहत दिनांक 01 सितंबर, 2004 की लोक सभा बुलेटिन भाग-II के तहत माननीय सभापति, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में अनुदान की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दिनांक 08.08.2022 को लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, माननीय सभापति, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग एवं निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानती हूँ।

वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (2022-23) की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोकसभा) की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृत निधियों के इष्टतम उपयोग, परिणामी परिणाम बजट, अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय (केपेक्स), राज्यों को निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार, बैंकिंग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसररचना और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी), डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसमें शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधी तरह (13) सिफारिशें की गई थीं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगी और मैं यह अनुरोध करूंगी कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

STATEMENT BY SMT NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE,
IN THE LOK SABHA ON 08.08.2022
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE
40th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE
(17TH LOK SABHA)
ON DEMANDS FOR GRANTS (2022-23)
IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE HON'BLE SPEAKER,
LOK SABHA VIDE LOK SABHA BULLETIN, PART II
DATED 1ST SEPTEMBER, 2004, UNDER RULE 73-A OF THE RULES OF PROCEDURE
AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE LOK SABHA

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises, and Investment and Public Asset Management in pursuance of the direction of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The 40th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Finance was presented on 22nd March, 2022 in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13) recommendations were made by the Committee pertaining to preparation of realistic budgetary estimates, optimal utilization of funds sanctioned, Output Outcome Budget, Special Purpose Vehicle for monetization of surplus land, Disinvestment of PSEs, Capital Expenditure(CAPEX), Funds to States, Interest payments and Government Borrowings, Health of the Banking Sector, EXIM Bank, The National Bank for Financing Infrastructure and Development(NaBFID), Digital Economy and Rising online Frauds and facilitating grievance redressal mechanism therein.

Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in its 40th Report is indicated in the Annexure.

I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

वित्त मंत्रालय के संबंध में 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी वित्त संबंधी स्थायी समिति की चालीसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्यवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1	1	समिति बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों को वास्तविक रूप से तैयार करने और आबंटित निधियों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर देती रही है। आर्थिक कार्य विभाग, का बजट तैयार करने में नोडल विभाग होने के नाते, बजटीय आबंटन करते समय अपेक्षित वित्तीय मानदंडों का पालन करने और वित्तीय विवेक बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और इस प्रकार यथार्थवादी अनुमान तैयार करने में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए एक आदर्श मॉडल बनने और स्वीकृत निधियों का इष्टतम उपयोग का प्रयास किया जाता है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में, 99549.53 करोड़ रुपये को भारी रूप से कम करके संशोधित अनुमानों में 55168.83 करोड़ रुपये कर	यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.02.2022 से 31.03.2022 तक आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के तहत कुल व्यय 7602.84 करोड़ रुपये था। मार्च, 2022 के महीने में 7602.84 करोड़ रुपये में से 7096.69 करोड़ रुपये मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से बुक किए गए थे:- I. राजस्व अनुभाग के तहत बजट अनुमान 2021-22 में 1069.86 करोड़ रुपये का वास्तविक प्रावधान केवल तीसरी और अंतिम अनुपूरक अनुदान मांगों (2021-22) के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता था, जिसे दिनांक 23.03.2022 को अनुमोदित किया गया था, तदनुसार, मार्च, 2022 के महीने में निधियों का उपयोग किया जा सकता है। II. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मार्च, 2022 के महीने में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अंतरराष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) (बजट शीर्ष: 5465.01.797.02.00.63) के	हां	---

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>दिया गया था। अर्थात् 44380.70 करोड़ रुपये की भारी कमी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उद्धृत किया गया है कि इस कमी का मुख्य कारण अवसंरचना पाइपलाइन के लिए समर्थन है, जो वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पर अच्छी प्रगति दिखाने वाले विभिन्न विभागों की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग की मांगों में किया गया एक केंद्रीकृत प्रावधान था। समिति को सूचित किया जाता है कि तदनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके पूंजीगत व्यय के उपयोग के लिए प्रावधान को पुनः आबंटित किया गया था। विभाग द्वारा आगे यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 14.02.2022 तक वास्तविक व्यय 40149.32 करोड़ रु. है। समिति इंगित करना चाहती है कि संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में विभाग के पास अभी भी (दिनांक 14.02.2022 तक) लगभग 15019.51 करोड़ रु. है जो इस वित्तीय वर्ष के लिए लगभग डेढ़ महीने से</p>	<p>लिए 1236.93 करोड़ रुपये का अंतर खाता अंतरण किया गया था।</p> <p>III. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जुटाए गए कुल सोने के संदर्भ में आरबीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस), 2015 (बजट शीर्ष: 4046.00.206.06.00.54) के लिए मार्च, 2022 के महीने में 1409.06 करोड़ रुपये का अंतर खाता अंतरण किया गया था।</p> <p>IV. मार्च, 2022 के महीने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर 769.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।</p> <p>2. उपरोक्त के मददेनजर, आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान को मार्च, 2022 के महीने में बुक किए गए व्यय के लिए "मार्च में व्यय की जल्दबाजी" के उदाहरणों के रूप में नहीं माना जा सकता है, हालांकि, भविष्य के अनुपालन के लिए माननीय समिति की सिफारिश को नोट किया गया है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)																								
1	2	3	4	5	6																								
		अप्रयुक्त रहता है। "मार्च में व्यय की जल्दबाज़ी" पर जोर देना बेकार है, लाक्षणिक रूप से ऐसे पुराने उदाहरणों से बचा जाना चाहिए और पिछली तिमाही में भारी व्यय के बजाय व्यय में समानता को बनाए रखा जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को विकास और राजकोषीय स्थिरता के पथ पर रखते हुए आबंटित निधियों के बेहतर लक्ष्यीकरण और अवशोषण के लिए यह आवश्यक है।																											
2	2	सामान्य वित्तीय और कारोबार संस्था में मुख्य शीर्ष 5465-निवेश के संदर्भ में समिति पाती है कि वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 2247.01 करोड़ रु. था और वास्तविक अनुमान 4041.34 करोड़ रु. था जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान 13500.03 करोड़ रु. था और वास्तविक अनुमान 7482.72 करोड़ रु. था। दिनांक 31.12.2021 तक 10750.01 करोड़ रु. के बजटीय आबंटन की तुलना में वास्तविक व्यय केवल 1219.43 करोड़ रु. है। समिति आशा करती है कि वित्त मंत्रालय	<p>सामान्य वित्तीय और कारोबार संस्थाओं में मुख्य शीर्ष 5465-निवेश के संबंध में निम्नांकित तालिका और वर्ष-वार उत्तर देखा जा सकता है:-</p> <p>(रु करोड़ में)</p> <table> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>वित्त वर्ष</th><th>ब.अ.</th><th>स.अ.</th><th>वास्तविक व्यय</th><th>बचतें (ब.अ.+ अनुपूरक-वास्तविक व्यय)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>2019-20</td><td>2247.01</td><td>7000.02</td><td>4041.34</td><td>1958.68</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>2020-21</td><td>13500.03</td><td>8666.17</td><td>7482.72</td><td>6017.31</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>2021-22</td><td>10750.01</td><td>9500.01</td><td>4165.07</td><td>6584.94</td></tr> </table>	क्र.सं.	वित्त वर्ष	ब.अ.	स.अ.	वास्तविक व्यय	बचतें (ब.अ.+ अनुपूरक-वास्तविक व्यय)	1.	2019-20	2247.01	7000.02	4041.34	1958.68	2.	2020-21	13500.03	8666.17	7482.72	6017.31	3.	2021-22	10750.01	9500.01	4165.07	6584.94	हां	----
क्र.सं.	वित्त वर्ष	ब.अ.	स.अ.	वास्तविक व्यय	बचतें (ब.अ.+ अनुपूरक-वास्तविक व्यय)																								
1.	2019-20	2247.01	7000.02	4041.34	1958.68																								
2.	2020-21	13500.03	8666.17	7482.72	6017.31																								
3.	2021-22	10750.01	9500.01	4165.07	6584.94																								

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>संपूर्ण बजटीय कार्य प्रणाली में इस प्रकार की अनियमित आबंटनों से बचें। समिति आगे यह भी उल्लिखित करना चाहेगी कि स्कीमें/गतिविधियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनका प्रणालीगत रूप से निष्पादन किया जाना चाहिए एवं सुदृढ़ तौर पर क्रियान्वित की जानी चाहिए ताकि की गई परिकल्पना अनुसार वांछित उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। समिति इतने वर्षों में राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सीमित प्राप्तियों के बारे में भी चिंतित है और साथ ही अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से चारों ओर प्रभाव लाने की परिकल्पना की गई थी उस दृष्टि से उसके निम्न प्रभाव पर भी चिंतित है। अर्थात् सरकारी पूंजी/इक्विटी निवेश का एक महत्वपूर्ण कॉर्पस इसके बदले ऋण निवेश की दृष्टि से बड़े कॉर्पस को सहायता पहुंचा रहा है। समिति चाहती है कि यह बहुउद्देशीय प्रभाव दक्षता से उपयोग में लाई जाए और सरकार अधिदेश अनुसार कॉर्पस निधि का अर्थपूर्ण उपयोग करे।</p>	<p>2019-20</p> <p>मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत ब.अ. 2019-20 में वास्तविक अनुदान 2247.01 करोड़ रु. था। जिसमें कि निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से 3753.01 करोड़ रु. और 1000.00 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान को प्राप्त कर 7000.02 करोड़ रु. बढ़ाए गए थे। वास्तविक व्यय 4041.34 करोड़ रु. था जिससे 1958.68 करोड़ रु. की बचत हुई। ये बचत मुख्य रूप से निम्न कारणों के चलते हुई।</p> <ol style="list-style-type: none"> भारतीय कार्य नीति और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी) (बजट शीर्ष: 5465.01.190.45):- ब.अ. 2019-20 1000.00 करोड़ रु. था स्कीम के प्रचालित न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय निवेश निधि (बजट शीर्ष: 5465.01.797.02):- भारतीय कार्यनीति और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम को सहायता हेतु 1000.00 करोड़ रु. का प्रावधान तथापि आईएसएसआईएफसी के तहत शून्य व्यय के चलते निधि का अंतरण नहीं किया जा सका। किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवास हेतु विशेष खिड़की (एसडब्ल्यूएमआईएच) (बजट शीर्ष: 5465.01.190.50):- 		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>सं.अ. 2019-20 स्तर पर एसडब्ल्यूएमआईएच के लिए 1000.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। वास्तविक व्यय 41.35 करोड़ रु. था जिसके परिणामस्वरूप 958.65 करोड़ रु. की बचत हुई। निम्न व्यय का कारण यह था कि निधि हेतु अनुमोदन नवंबर 2019 में प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त निधि के उपयोग हेतु व्यवस्था करने में भी कुछ समय लगा और साथ ही आवश्यक औपचारिकताओं में भी समय लगा जिनमें कि निधि के तहत रिलीज करने के दिशानिर्देश तैयार करने, निवेश प्रबंधक की नियुक्ति निवेश संबंधी निर्णयों को लेने के लिए निवेश समिति की स्थापना करना, स्कीम के तहत निधियों की रिलीज के लिए आवेदनों को प्रक्रिया में लाना आदि शामिल हैं। एसडब्ल्यूएमआईएच निधि के तहत रिलीज में बाढ़ के वित्त वर्षों में तेजी आई।</p> <p>2020-21</p> <p>मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत ब.अ. 2020-21 में वास्तविक अनुदान 13500.03 करोड़ रु. था। सं.अ. 2020-21 में घटकर 8666.17 करोड़ रु. हो गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत 0.01 करोड़ के दो टोकन अनुपूरक प्राप्त किए। बजट प्रावधान का उप-शीर्षवार विवरण निम्नानुसार देखा जा सकता है: -</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई						सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4						5	6
			(रकरोड़ में)							
			क्र.सं.	बजट शीर्ष	विवरण	ब.अ.	ब.अ. + पूरक	सं.अ.		
			1.	5465.01.190.40	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड (एनआईआईएफएल)	0.01	0.01	0.01		
			2.	5465.01.190.45	भारतीय सामरिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी)	0.01	0.01	0.01		
			3.	5465.01.190.46	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) में निवेश	500.00	500.005	4750.00		
			4.	5465.01.190.48	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईल)	0.01	0.01	0.01		
			5.	5465.01.190.50	किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो	0.00	0.01	916.14		
			6.	5465.01.190.51	एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण मंच में पूंजी निवेश	0.00	0.005	1000.00		
			7.	5465.01.797.02	राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ)	13000.00	13000.00	2000.00		
					कुल (मुख्य शीर्ष: 5465)	13500.03	13500.05	8666.17		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>2. मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत वास्तविक व्यय ₹7482.72 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹6017.33 करोड़ की बचत हुई। यह भी सूचित किया गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (बजट शीर्ष: 5475.00.800.27) के सहयोग के लिए एनआईएफ (इंटर-अकाउंट ट्रांसफर) (बजट शीर्ष: 5465.01.797.02) के तहत ब.अ. 2020-21 के रूप में ₹12500.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे स.अ. 2020-21 चरण में घटाकर शून्य कर दिया गया था। इसलिए, बचत मुख्य रूप से अवसंरचना पाइपलाइन के सहयोग के तहत निधियों के गैर उपयोग के परिणामी प्रभावों के कारण ₹12500.00 करोड़ के गैर हस्तांतरण के कारण थी।</p> <p>2021-22</p> <p>मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत, ब.अ. 2021-22 में मूल अनुदान ₹10750.01 करोड़ था। इसे सं.अ. 2020-21 में घटाकर ₹9500.01 करोड़ कर दिया गया। वास्तविक व्यय ₹4165.07 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹6584.94 करोड़ की बचत हुई। बचत मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई:-</p> <p>1. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश (बजट शीर्ष: 5465.01.190.46): - बजट अनुमान 2021-22 ₹5000.00 करोड़ था, हालांकि वास्तविक व्यय ₹1236.93 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप ₹3763.07 करोड़ की बचत हुई। इस संबंध में, यह कहा गया है कि एक वर्ष के दौरान</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>एनआईआईएफ के तहत व्यय की मात्रा उस वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले निवेश के अवसरों पर निर्भर करती है। इसलिए, प्रत्याशित निवेश अवसरों के आधार पर, ब.अ./स.अ. में धन की मांग के लिए निवेश प्रबंधक के परामर्श से धन की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान लगाया जाता है। जब भी कोई प्रत्याशित निवेश अवसर नहीं मिलता है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च कम होता है।</p> <p>II. किरायेती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो (बजट शीर्ष: 5465.01.190.50):- 2021-22 में बजट अनुमान ₹2250.00 करोड़ था, हालांकि वास्तविक व्यय ₹991.21 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप ₹1258.79 करोड़ की बचत हुई। कोविड की दूसरी लहर के कारण निर्माण गतिविधि में कमी के कारण पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा धन की कम आवश्यकता के कारण बचत हुई थी।</p> <p>III. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी निवेश (बजट शीर्ष: 5465.01.190.51):- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश: - 2021-22 में ब.अ. ₹1000.00 करोड़ था, हालांकि वास्तविक व्यय ₹700.00 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप ₹300.00 करोड़ की बचत हुई। इस संबंध में, यह कहा गया है कि एक वर्ष के दौरान एनआईआईएफ आईडीएफ के तहत व्यय की मात्रा उस वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले निवेश के अवसरों पर निर्भर करती है। इसलिए, अनुमानित निवेश के अवसरों के आधार</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>पर ब.अ./सं.अ. में धन की मांग के लिए निवेश प्रबंधक के परामर्श से धन की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान लगाया जाता है। जब भी कोई प्रत्याशित निवेश अवसर नहीं मिलता है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च कम होता है।</p> <p>IV. राष्ट्रीय निवेश कोष (बजट शीर्ष: 5465.01.797.02):- 2021-22 में बजट अनुमान ₹ 2500.00 करोड़ था, हालांकि वास्तविक व्यय ₹1236.93 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप ₹1263.07 करोड़ की हुई। बचत एनआईआईएफ में अनुमान से कम निवेश के परिणामी प्रभावों के कारण बचत हुई।</p> <p>2. उपरोक्त से पता चलता है कि संबंधित प्रभागों से वास्तविक मांगों पर मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा, शीघ्र योजना कार्यान्वयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे विस्तृत योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करना, कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन, निधि जारी करने से पहले विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, आदि। कुछ मामलों में, योजनाओं की धीमी गति के कारण प्रत्याशित परिणामों की तुलना में सुस्त प्रक्रियाएं। हालांकि, भविष्य में अनुपालन के लिए माननीय समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।</p>		
3	2	समिति वर्षों से राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईआईएफ) से सीमित निकासी और इसके गुणक परिणाम के संदर्भ में इसे अर्थव्यवस्था में लाने की कल्पना की गई	'विनिवेश प्राप्तियों' से प्राप्त आय को एक आरक्षित निधि, जिसे 'राष्ट्रीय निवेश निधि' कहा जाता है, के माध्यम से सार्वजनिक खाते में भेजा जाता है। राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा की गई राशि का उपयोग संसद द्वारा अधिकृत उचित विनियोग के साथ सरकार	जी, हां	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)																					
1	2	3	4	5	6																					
		थी, के अल्प प्रभाव के बारे में भी चिंतित है अर्थात सरकारी पूंजी/इक्विटी निवेश की एक आधारभूत निधि है जो ऋण निवेश के मामले में एक बड़ी आधारभूत निधि के रूप में समर्थन कर रही थी। समिति चाहती है कि इस गुणक परिणाम को कुशलता से लिया जाए और सरकार अनिवार्य रूप से आधारभूत निधि का लाभकारी उपयोग करे।	<p>द्वारा निर्धारित की गई योजनाओं के लिए किया जाता है।</p> <p>2. पिछले चार (4) वर्षों के लिए 'राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ)' के माध्यम से प्राप्त और बजट अनुमान 2022-23 में उपयोग की गई आय का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपये में)</p> <table><tr><th>वर्ष</th><th>विनिवेश से प्राप्त राशि</th><th>एनआईएफ को अंतरित और उससे उपयोग की गई राशि</th></tr><tr><td>2018-19</td><td>72619.54</td><td>78496.20</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>48234.46</td><td>58699.99</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>29720.46</td><td>31907.61</td></tr><tr><td>2021-22 (ब.अ.)</td><td>78000.00</td><td>118863.84</td></tr><tr><td>2022-23 (ब.अ.)</td><td>65000.00</td><td>64865.00</td></tr><tr><td>कुल</td><td>293574.46</td><td>352832.64</td></tr></table> <p>3. यह ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान संचयी उपयोग सीपीएसयू में सरकार की इक्विटी होल्डिंग के विनिवेश से प्राप्त विनिवेश से बहुत अधिक है।</p> <p>4. वर्तमान में, इस आय का उपयोग न केवल रेलवे के निर्माण, सड़कों के निर्माण, बैंकों में पूंजी डालने जैसे पूंजी निर्माण के लिए</p>	वर्ष	विनिवेश से प्राप्त राशि	एनआईएफ को अंतरित और उससे उपयोग की गई राशि	2018-19	72619.54	78496.20	2019-20	48234.46	58699.99	2020-21	29720.46	31907.61	2021-22 (ब.अ.)	78000.00	118863.84	2022-23 (ब.अ.)	65000.00	64865.00	कुल	293574.46	352832.64		
वर्ष	विनिवेश से प्राप्त राशि	एनआईएफ को अंतरित और उससे उपयोग की गई राशि																								
2018-19	72619.54	78496.20																								
2019-20	48234.46	58699.99																								
2020-21	29720.46	31907.61																								
2021-22 (ब.अ.)	78000.00	118863.84																								
2022-23 (ब.अ.)	65000.00	64865.00																								
कुल	293574.46	352832.64																								

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			किया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सामाजिक अवसंरचना के विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है।		
4	3	समिति अनुशंसा करती है कि परिणाम को और अधिक व्यापक बनाया जाए और पिछले दो या अधिक वित्तीय वर्षों की उपलब्धि के आंकड़ों के साथ-साथ हासिल किए गए उद्देश्यों की स्पष्ट तस्वीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को शामिल किया जाए। समिति का यह मानना है कि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पिछले वर्ष खर्च किए गए पैसे से वास्तव में इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं।	सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF), नीति आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों / विभागों और व्यय विभाग के परामर्श से तैयार किया गया है। OOMF को तैयार करना और इसमें सुधार एक सतत कार्य है और इसमें नीति आयोग, व्यय विभाग और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच परामर्श की निरंतर प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, OOMF समीक्षा बैठकें भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ आउटपुट और परिणाम संकेतकों एवं योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर नीति आयोग में आयोजित की जाती हैं।	OOMF को एक विशेष समय सीमा में दिए गए वित्तीय परिव्यय के भीतर वार्षिक/आवधिक आउटपुट के माध्यम से परिणाम की उपलब्धि के लिए विशेष तरीके से तैयार किया गया है। योजनाओं के लिए वित्तीय परिव्यय को वित्त आयोग चक्र के साथ	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
				<p>संरेखित किया गया है।</p> <p>बजटीय संसाधनों को समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर उपलब्ध कराया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चक्र के अंत में, वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।</p> <p>चक्र के अंत में अनिवार्य तीसरे पक्ष के मूल्यांकन द्वारा आगे इसकी पुष्टि की जाती है।</p> <p>उपर्युक्त को</p>	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
				ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।	
5	4	समिति ने पाया कि वर्ष 2021-22 के लिए लोक उद्यम विभाग के लिए संशोधित अनुमान 21.81 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट आवंटन से 155.19 करोड़ रुपये बढ़कर 177 करोड़ रुपये हो गया। यह सूचित किया गया कि आवंटन में तीव्र वृद्धि सरकारी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ अधिशेष भूमि के मुद्रिकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना के प्रावधानों के कारण हुई है, जिसे दीपम द्वारा शुरू किया गया है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि एसपीवी को अनुमोदित किए जाने के बाद, इससे संबंधित कार्य डीपीई द्वारा संभाला जाएगा। समिति का मानना है कि लैंडहोल्डिंग को एक साथ रखने के	डीपीई ने दिनांक 13 दिसंबर, 2021 के कार्यालय जापन संख्या डीपीई 3(1)/2021-डीडी के तहत गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की नई नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि सीपीएसई की लीजहोल्ड भूमि को राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने दिनांक 09.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय भूमि मुद्रिकरण निगम (एनएलएमसी) को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस एसपीवी को सीपीएसई के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों की गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रिकरण के लिए भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी होने का प्रस्ताव है। एसपीवी में सरकार के बाहर के पेशेवरों का उचित प्रतिनिधित्व होगा। एसपीवी को संदर्भित भूमि/संपत्ति की प्रकृति के आधार पर, अधिकतम मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए एसपीवी द्वारा मुद्रिकरण का एक उपयुक्त तरीका अपनाया जाएगा।	आंशिक रूप से स्वीकृत	समिति के सुझावों में से एक यह है कि भूमि को केवल भूमि मूल्य के लिए तय करने के बजाय इसे विकसित करने के बाद ऊंची कीमत पर बेचा जाए। यह प्रत्येक भूमि पार्सल के संबंध में

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>लिए एसपीवी एक प्रमुख मुद्राकरण का अवसर हो सकता है और योजना का निष्पादन इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। समिति का सुझाव है कि भूमि के मूल्य को व्यवस्थापित करने के बजाय भूमि को विकसित करने के बाद अधिक लागत पर बेच दिया जाए। वर्तमान राजकोषीय स्थिति और सरकार के पास उपलब्ध बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण लैंड होल्डिंग को देखते हुए संवर्द्धित मूल्य अर्थव्यवस्था की आश्चर्यजनक रूप से सहायता करने की क्षमता रखता है। समिति महत्वपूर्ण लैंड होल्डिंग में से अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक/निजी विशेषज्ञता लाने की सिफारिश करती है। इसी क्रम में, समिति कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक उद्यमों की भूमि के विकास/पुनर्विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाना चाहेगी, जिन्हें लंबे समय से बंद/विनिवेशित किया गया है और उनकी खाली भूमि पर अब अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के</p>			<p>संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह परिकल्पना की गई है कि इस तरह का काम खरीदार/रियायतीग्राही द्वारा बेहतर तरीके से किया जाता है।</p>

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		साथ कतिपय लैंड होल्डिंग के गतिरोध पर, समिति चाहती है कि सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचा जाए ताकि सरकार के लिए मूल्यवान भूमि स्वामित्व के बिना या बिना मूल्य के व्यर्थ न चली जाए।			
6	5	समिति का मानना है कि विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करना बजट के लिए महत्वपूर्ण है और अनुमानों से विचलन से राजकोषीय गतिशीलता में भारी परिवर्तन हो सकता है और अभिष्ट है कि विनिवेश अधिक विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी हो। दीपम एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करे कि इसने सार्वजनिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया है- विशेष रूप से, क्या दीपम मूल्य सृजन कर रहा है या क्या इसने आम जनता के लिए वार्षिक आधार पर मूल्य हास किया है।	समिति को सूचित किया गया है कि सीमित विनिवेश विंडो (51% इक्विटी स्तर से ऊपर) , मूल्य अधिकता की समस्या और चल रहे सौदों को बंद करने की संभावना को देखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) के लिए एक अधिक व्यावहारिक विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यद्यपि, वैश्विक कारकों, निवेशकों की अभिरुचि और सीपीएसई के शेयरों के प्रदर्शन सहित बाजार की गत्यात्मकता वह सक्रिय कारक हैं जो विनिवेश सौदों को प्रभावित करते हैं। तथापि, सरकार विनिवेश और लाभांश लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए ऊर्ध्वगामी और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर काम करना जारी रखेगी ताकि लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि बाजारों की अनिश्चितताओं और अप्रत्याशितता के अधीन बेहतर ढंग से संरेखित हो। सार्वजनिक परिसंपत्तियों में मूल्य सृजित करने में कैसे कामयाब रही है, विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए समिति की सिफारिश के संबंध में, सीपीएसई की निगरानी मुख्य रूप से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है और डीपीई	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>एक वार्षिक सार्वजनिक उदयम सर्वेक्षण प्रकाशित करता है जिसमें सीपीएसई के कामकाज पर वृहदाकार जानकारी होती है। डीपीई और प्रशासनिक मंत्रालयों के पास सीपीएसई के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापनों की एक विस्तृत प्रक्रिया भी है। दीपम, प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, भारत सरकार की इक्विटी के विनिवेश और सीपीएसई से हुई लाभांश प्राप्तियों की देखरेख और निगरानी करता है।</p> <p>सरकार इस बात से सहमत है कि पेशेवर/शैक्षणिक संस्थानों की मदद से आवधिक अध्ययन सीपीएसई क्षेत्र में मूल्य सृजन की स्थिति पर वार्षिक सार्वजनिक उदयम सर्वेक्षण के पूरक बन सकते हैं। यह अध्ययन उचित अंतराल पर भी किए जा सकते हैं कि कैसे रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण ने निजीकरण के बाद उदयमों की आर्थिक क्षमता को हासिल करने में योगदान दिया है।</p>		
7	6	समिति ने 2022-23 में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की तेज उछाल को नोट किया, अर्थात् सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के रूप में 7.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है, जो वर्तमान में 5.54 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले तेज वृद्धि है। समिति आशा करती है कि आवंटित निधि का लाभप्रद	भारत सरकार पूंजीगत व्यय के में तेजी लाने की दिशा में काम कर रही है। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय योजनाओं पर प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें कीं और अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के उपायों का सुझाव दिया। साथ ही वित्त मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। यह नियमित आधार पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत पूंजीगत व्यय की प्रगति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की	जी, हां	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)																		
1	2	3	4	5	6																		
		तरीके से, कुशलतापूर्वक और पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाएगा और 7.50 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त किया जाएगा।	<p>निगरानी करेगा और अवसररचना परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन द्वारा पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत मंत्रालयों को प्रोत्साहित करेगा। इन सभी तंत्रों के माध्यम से, वित्त मंत्रालय इन्फ्रा खर्च को आगे बढ़ाने और वित्त वर्ष 2021-22 के समान ब.अ. के 100 प्रतिशत से अधिक के पूंजीगत व्यय को प्राप्त करने में सक्षम होगा।</p> <p>पूंजीगत निवेश अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करके, उद्योगों से निर्मित इनपुट की बढ़ी हुई मांग आदि के द्वारा निरंतर आर्थिक पुनरुद्धार का उपाय करता है। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि विकास के पुण्य चक्र की ओर ले जाती है। इसके गुणक प्रभाव के कारण महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। तदनुसार, बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय को बढ़ाकर रु. 7.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस पूंजीगत व्यय के लिए प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:</p> <table><tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th rowspan="2">मंत्रालय/विभाग/क्षेत्र</th><th colspan="2">बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय</th></tr><tr><th>धनराशि (करोड़ रुपये में)</th><th>प्रतिशत (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>सड़क परिवहन और राजमार्ग</td><td>1,87,744</td><td>25%</td></tr><tr><td>2</td><td>रेलवे</td><td>1,37,100</td><td>18%</td></tr><tr><td>3</td><td>रक्षा पूंजी</td><td>1,52,370</td><td>20%</td></tr></table>	क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय		धनराशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत (%)	1	सड़क परिवहन और राजमार्ग	1,87,744	25%	2	रेलवे	1,37,100	18%	3	रक्षा पूंजी	1,52,370	20%		
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय																					
		धनराशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत (%)																				
1	सड़क परिवहन और राजमार्ग	1,87,744	25%																				
2	रेलवे	1,37,100	18%																				
3	रक्षा पूंजी	1,52,370	20%																				

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई				सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4				5	6
			4	दूरसंचार	54,150	7%		
			5	पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	1,00,000	13%		
			6	आवासन और शहरी कार्य (मेट्रो)	27,341	4%		
			7	परमाणु ऊर्जा	14,283	2%		
			8	अन्य	77,258	10%		
				कुल	7,50,246	100%		
			<p>राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान के साथ किया गया यह निवेश, 2022-23 में केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा। यह उम्मीद है कि राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण में मदद करने के अलावा, विकास और रोजगार पर अर्थव्यवस्था में एक गुणक प्रभाव होगा।</p> <p>2. भारत सरकार पूंजीगत व्यय में तेजी लाने की दिशा में काम कर रही है। पिछले साल, वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय योजनाओं पर प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों की समीक्षा बैठकें कीं और अवसंरचना के निवेश में तेजी लाने के उपायों का सुझाव दिया, जो नीचे दिए गए हैं</p> <p>i. मंत्रालयों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु अपने कैपेक्स लक्ष्यों से अधिक प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों</p>					

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>द्वारा लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।</p> <p>ii. मंत्रालय अभिनव संरचना और वित्तपोषण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें और व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड का पता लगाने सहित अवसंरचना के खर्च को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें।</p> <p>iii. मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाएंगे कि उपलब्धि समय सीमा के अनुरूप हो और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें।</p> <p>3. संबंधित मंत्रालयों और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की गई हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। यह नियमित आधार पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत पूंजीगत व्यय की प्रगति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और अवसंरचना परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन द्वारा पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत मंत्रालयों को प्रोत्साहित करेगा।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			4. इन सभी तंत्रों के माध्यम से, वित्त मंत्रालय बुनियादी खर्च को आगे बढ़ाने और वित्त वर्ष 2021-22 के समान बजट अनुमान के 100 प्रतिशत से अधिक के पूंजीगत व्यय को प्राप्त करने में सक्षम होगा।		
8	7	समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि निधियां, जो ठोस लोक वित्त के रूप में राज्यों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र द्वारा आवंटित की जाती हैं तथा जो स्थायी विकास के लिए पूर्व शर्तों में शामिल हैं, का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। इस संबंध में, यह समिति किसानों से धान की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु भारत सरकार से ऋण लेते समय राज्य सरकारों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे को रेखांकित करना चाहेगी। अनंतिम अग्रिम आर्थिक सहायता समय पर मुहैया न कराए जाने के कारण, राज्य बाद में बिना किसी प्रतिपूर्ति के उक्त उधार ली गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान करना बंद कर देते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए इस समस्या का एक प्रणालीगत समाधान	राज्यों, जिन्होंने विकेन्द्रीकृत खरीद कार्यक्रम अंगीकृत किया है और भारतीय खादय निगम को खादय सब्सिडी की निर्मुक्ति संबंधी कार्यों को खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। राज्यों को राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर खादयान्न का आवंटन किया जाता है। आर्थिक लागत तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जिस पर गैर-डीसीपी राज्यों को खादयान्न निर्गमित किया जाता है, में जो अन्तर होता है उसकी प्रतिपूर्ति खादय-आर्थिक सहायता के रूप में भारतीय खादय निगम को की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय खादय निगम गैर-डीसीपी राज्यों को, एफसीआई द्वारा उनसे प्राप्त खादयान्न की मात्रा के लिए भी निधियां जारी करता है। डीसीपी राज्यों के मामले में, उनके द्वारा एनएफएसए तथा ओ डब्ल्यू एस योजना के तहत खरीद किए गए और वितरित किए गए खादयान्न की मात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को खादय सब्सिडी सीधे जारी की जाती है। डीसीपी राज्य, डीसीपी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व/चालू तिमाही के तिमाही-वार सब्सिडी बिल प्रस्तुत करते हैं।	खादयान्न खरीद के लिए निधियों के सुचारु प्रवाह की प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है।	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>खोजना आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किया जा सके।'</p> <p>केन्द्र सरकार तथा वित्त आयोग द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को जारी की जाने वाली निधि का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए और आम जनता के लिए इन्हें पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।</p>	<p>राज्य सरकार से प्राप्त अनंतिम/अग्रिम दावों पर अन्य बातों के अतिरिक्त स्टॉक का प्रारंभिक और समापन शेष, खरीद, खादयान्न का आवंटन और वितरण, एफसीआई का पुनर्मिलान, उपयोग प्रमाण-पत्र, खादयान्न की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है।</p> <p>अनंतिम/अग्रिम सब्सिडी अंतिम लेखा परीक्षित खातों की प्रतीक्षा किए बिना निर्मुक्त की जाती है। समाज के कमजोर वर्गों के बीच खादयान्न का वितरण सुनिश्चित करने हेतु खादय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा समय से खादय सब्सिडी (वित्त मंत्रालय द्वारा यथा आवंटित) निर्मुक्त की जाती है। अनंतिम सब्सिडी में शत प्रतिशत निर्धारित लागत (लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक प्रभार, मिलिंग प्रभार शामिल हैं) तथा 95 प्रतिशत तक बाकी खरीद संबंधी अनुषांगिक व्यय जैसे- परिवहन, ब्याज, टाट के थैले (गनी), श्रमिक प्रभार, भंडारण प्रभार आदि की लागत शामिल है। शेष बची सब्सिडी का दावा करने के लिए, डीसीपी राज्यों को संबंधित खरीफ बाजार सीजन (केएमएस)/रबी बाजार सीजन (आरएमएस) तथा शेष सब्सिडी, यदि कोई हो, जो जारी की गई हो, से संबंधित अपने अंतिम खाते प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p> <p>पिछले पांच वर्षों के दौरान खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी की गई खादय सब्सिडी अनुबंध -II और III के अनुसार है, जिसे आरटीआई आवेदनों और संसद के प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाता है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
9	8	समिति ने पाया है कि ब्याज भुगतानों (निवल आधार) पर बजट अनुमान, बजट अनुमान (2021-22) में 809701.32 करोड़ रुपये से 130949.7 करोड़ रुपये बढ़कर 940651.02 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् 16.17 प्रतिशत की बढ़त। समिति को सूचित किया गया था कि आरबीआई द्वारा नीतिगत कार्रवाई की प्रत्याशा के साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से अधिक मात्रा में ऋण लेने के चलते ऐसी उच्चतर व्यवस्था अपनाई गई जिससे प्राप्त लाभ में मजबूती आ सकती है। समिति ब्याज भुगतानों पर नियंत्रण रखने के लिए उन उपायों को करने की जरूरत पर बल देना चाहेगी जिन्हें शीघ्र करने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि राजकोषीय घाटे को कम करना और बढ़ते ऋण जीडीपी अनुपात को प्रभावशाली तरीके से प्रबंधित करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय स्थिरता बनी रहे।	बजट 2021-22 भाषण में, सरकार ने 2025-26 तक जीडीपी से 4.5 प्रतिशत निम्न स्तर के राजकोषीय घाटे पर पहुंचने की घोषणा की है। तदनुसार, सरकार राजकोषीय समेकन की विस्तृत कार्य प्रणाली अपना रही है। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है, जो कि संशोधित अनुमान 2021-22 में जीडीपी के 6.9 प्रतिशत से निम्नतर है। प्रस्तावित राजकोषीय समेकन ऋण/जीडीपी अनुपात को नीचे लाने में भी सहायक होगा।	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
10	9	समिति पाती है कि आरंभ में बैंकिंग प्रणाली ने गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में महामारी के झटके का अच्छी तरह से सामना किया है। समिति को ज्ञात है कि आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुमानों के विपरीत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल एनपीए का अनुपात मार्च, 2021 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2022 तक 9.80 प्रतिशत हो गया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सकल स्तर पर एनपीए के आंकड़े 31 मार्च, 2021 को 9.11 प्रतिशत से घट कर 31 दिसम्बर, 2021 तक 7.90 प्रतिशत रह गए हैं। समिति इस मामले में किसी भी शुरुआती उत्साह के प्रति आगाह करना चाहती है, क्योंकि अभी भी बैंकिंग क्षेत्र पर महामारी का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए महामारी के प्रभाव को कम करने की मुहिम के भाग के रूप में दी गई अतिरिक्त धनराशी को अवशोषित करना आवश्यक है क्योंकि एनपीए में वृद्धि की संभावना हो सकती है। समिति महसूस करती है कि	<p>बैंकों का एनपीए प्रबंधन समग्र रूप से प्रणाली के वित्तीय स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह उधारकर्ताओं में अनुशासन पैदा करता है और एक क्रेडिट संस्कृति संबंधी लोकाचार का सृजन करता है जो कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। बैंकों ने एक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रभावी एनपीए प्रबंधन के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है, जो नीचे दिए गए हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> आरंभिक दबाव के संकेतों की शीघ्र पहचान के लिए खातों का विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकरण, जिसके परिणामस्वरूप ऋण दायित्वों की समय पर अदायगी में चूक हुई, बैंकों को एनपीए में अपनी संभावित बढ़ोतरी को रोकने के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने में सक्षम बनाना; बैंकों में व्यापक, स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की संस्था, ~80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर के साथ, समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तीसरे पक्ष के डेटा और वर्कफ़्लो का उपयोग सक्रिय रूप से दबाव का पता लगाने और एनपीए में बढ़ोतरी को कम करने के लिए करना; भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के "धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देश" के तहत जारी मौजूदा निर्देशों बैंकों को मार्गदर्शन 	स्वीकृत	शून्य

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		अभी विवेक से काम लेने की आवश्यकता है और अनर्जक आस्तियों को कम करने तथा वसूली को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों यथा दिवाला और ऋण - शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) द्वारा क्रेडिट संस्कृति में लाया गया बदलाव, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण में संशोधन और सुरक्षा हितों का प्रवर्तन (एसएआरएफ़ईएसआई) अधिनियम और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई और सेबी द्वारा जानभूझकर चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी पूंजी जुटाने के पूरक उपायों के रूप में सरकारी प्रोत्साहन देने तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के समाधान पर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने जैसे उपायों को उसी जोश के साथ जारी रखा जाए।	<p>के लिए 42 प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की एक सांकेतिक सूची उपलब्ध कराते हैं, और बैंकों को सलाह देते हैं कि वे सूची से प्रासंगिक संकेतों को अपनाएं या अनुकूलित करें और अपने अनुभव, ग्राहक प्रोफ़ाइल और व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य अलर्ट/सिग्नल भी शामिल करें।</p> <p>IV. पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान आरबीआई द्वारा ईडब्ल्यूएस ढांचे के कार्यान्वयन की स्थिति और इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। आरबीआई द्वारा पाई गई किसी भी कमी के मामले में पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान यह अनुपालनसुधार के लिए / बैंको के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करता है।</p> <p>V. अपने ऋण खातों में उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को दी जाती है, और बैंक इस जानकारी को क्रेडिट मूल्यांकन और उधारकर्ताओं को आगे ऋण स्वीकृत करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं।</p> <p>बैंकों द्वारा किए गए सभी उपायों के कारण, वैश्विक परिचालन पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए, दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 8,35,501 करोड़ रुपये (जीएनपीए अनुपात 7.33%) से घटकर दिनांक 31.12.2021 को 7,73,470 रुपये करोड़ (जीएनपीए अनुपात 6.39%) हो गया है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए जिसके आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध है, दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 6,16,616 करोड़ रुपये (जीएनपीए अनुपात 9.11%) से घटकर दिनांक 31.3.2022 को 5,43,498 करोड़ रुपये (जीएनपीए अनुपात 7.31%) हो गया है। आंकड़े पीएसबी की नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार है।</p> <p>वित्तीय प्रणाली पर महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता तथा विवेकपूर्ण विचार को कायम रखते हुए कई विनियामकीय उपायों की घोषणा की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ खाते का मानक के रूप में वर्गीकरण बनाए रखते हुए उधारदाताओं को कोविड-19 के कारण दबावग्रस्त खातों को दिनांक 6.8.2020 और 5.5.2021 (दिनांक 4.6.2021 को आंशिक रूप से संशोधित) को जारी समाधान संरचना क्रमशः 1.0 और 2.0 के दायरे में पुनर्गठित करना शामिल है। इन संरचनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय तथा कठोर पात्रता शर्तों के रूप में सुनिर्धारित सीमा की शर्तों के अधीन, पूर्व निर्धारित व्ययगन खण्ड, समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता के संबंध में बाह्य सत्यापन, अधिकतम दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि, पुनर्गठन पश्चात् कठोर निगरानी शर्तों आदि के रूप में तैयार किया गया है।</p> <p>आरबीआई ने यह सूचित किया है कि वैसे दबावग्रस्त ऋण खाते, जिनमें समाधान योजनाओं को उपर्युक्त संरचना के अंतर्गत लागू</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>किया गया है, मैं आरंभिक अधिस्थगन समाप्त होने और नियमित भुगतान आरंभ होने के पश्चात् वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के विस्तार और राशि को कई बार बढ़ाकर इसके समाप्त होने की तिथि को दिनांक 31.3.2023 कर दिया है। चूंकि योजना के अंतर्गत उपलब्ध सार्वभौम सहायता से कई फर्म अस्थायी रूप से दबाव से उभर पाए थे, ऐसी संस्थाओं की वास्तविक क्रेडिट प्रोफाइल सहायता को जारी रखने पर ही परिशुद्ध होगी। परिणामस्वरूप, उधारदात्री संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता का स्पष्ट स्वरूप उपर्युक्त उपायों को कम करने पर पता चलेगा। आरबीआई ने यह कहा है कि अतः बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वे इस संबंध में लापरवाही न बरतें और ऐसे खातों में उभर रहे दबावों को आरंभ में ही अर्थक्षम और गैर-अर्थक्षम फर्म के रूप में वर्गीकृत करते हुए हल करें। इससे संबद्ध प्रक्रिया में औपचारिक दिवालियापन प्रक्रिया से लेकर अधिक अनौपचारिक और न्यायालय से बाहर त्वरित व्यवस्था किया जाना शामिल है। आईबीसी और अन्य मौजूदा सांविधिक समाधान तंत्र, यदि उनका प्रभावी प्रयोग किया जाए तो, इनके अंतर्गत आने वाली संरचना इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।</p>		
11	10	समिति यह मानती है कि एक्जिम बैंक, निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि	<p>पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक्जिम बैंक का पर्याप्त पूंजीकरण हुआ है। सरकार ने प्रत्यक्ष इक्विटी अंशदान के माध्यम से और भारत सरकार की विशेष (जीओआई) प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी निवेश किया है। पिछले पांच वर्षों में, वित्त वर्ष 2021-22 में 750 करोड़</p>	स्वीकृत	शून्य

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगे संस्थानों के कामकाज के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। समिति की राय है कि एक्जिम बैंक को पर्याप्त रूप से क्रेडिट कौशल से लैस होना चाहिए और वर्तमान भूराज-नीतिक स्थिति के आलोक में, पर्याप्त रूप से पूंजीकृत होना चाहिए ताकि अन्य देशों के साथ विशेष रूप से अफ्रीका में परियोजनाओं के वित्तपोषण में चीन जैसे अन्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके और भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण को सुगम बनाए, जो वैश्विक आकांक्षाओं वाली भारतीय कंपनियों को अलग पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।</p>	<p>रुपये सहित भारत सरकार द्वारा एक्जिम बैंक में पूंजी के रूप में 9,050 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। संस्थान के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को देखकर इसकी पुष्टि की जा सकती है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 30.49 प्रतिशत से अधिक था।</p> <p>क्रेडिट प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में, एक्जिम बैंक द्वारा यह सूचित किया जाता है कि क्रेडिट संवितरण और क्रेडिट जोखिमों के प्रबंधन से संबंधित एक्जिम बैंक की प्रक्रियाएं और प्रणालियां समय के साथ काफी विकसित हुई हैं। एक्जिम बैंक ने एक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) स्थापित की है जिसमें परस्पर-कार्यात्मक प्रतिनिधित्व हैं। सीआरएमसी को बैंक-व्यापी आधार पर क्रेडिट जोखिमों के प्रबंधन और नियंत्रण का काम सौंपा गया है। बैंक के पास एक उन्नत क्रेडिट जोखिम मॉडल (सीआरएम) भी है, जो क्रेडिट जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों/उपायों और आंतरिक क्रेडिट ग्रेडिंग की एक श्रृंखला को शामिल करके बड़े पैमाने पर क्रेडिट निर्णय के समर्थन को सक्षम बनाता है। मॉडल उद्यम स्तर पर उधारकर्ता के जोखिम के साथ-साथ सुविधा जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था और प्रथाओं के अनुरूप मॉडल को नियमित रूप से विकसित / अद्यतन किया जाता है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			इसके अलावा, एक्जिम बैंक बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों और कार्यों को देखने के लिए प्रबंधन स्नातकों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों, बैंकरों, अर्थशास्त्रियों, प्रलेखन विशेषज्ञों, इंजीनियरों, भाषाविदों और आईटी विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। बैंक अपने कर्मचारियों के कौशल के निरंतर उन्नयन की सुविधा के लिए अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। अधिकारियों को विशिष्ट विभागों के लिए कौशल सेट बढ़ाने के उद्देश्य से ई-लर्निंग सहित अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के लिए भी नामित किया जाता है।		
12	11	समिति मानती है कि एनएबीएफआईडी की स्थापना बाज़ार की विफलताओं को दूर करने के लिए की गई है जो दीर्घकालिक , कम मार्जिन और अवसरचना के वित्तपोषण की जोखिम भरी प्रकृति से उत्पन्न हुई है जिसके लिए 'पेशेंट' पूंजी की आवश्यकता होती है। समिति को बताया जाता है कि 20000 करोड़ रुपये इक्विटी सहायता के रूप में किए गए हैं और अन्य 5000 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये जाएंगे और आगे बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। समिति एनएबीएफआईडी	बजटीय आवंटन के भाग के रूप में दिनांक 31.1.2022 को संस्थान को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता जारी की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 21 (2) के अनुसार, कर-मुक्त बांड जारी करके संभावित बचत के एवज में दिनांक 31.3.2022 को 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय अवसरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार और उधारकर्ता की रेटिंग के आधार पर उपरोक्त अनुदान और मौजूदा पूंजीगत सहायता से, संस्थान एक अवधि में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये की निधिगत और गैर-निधिगत पोर्टफोलियो	स्वीकृत	शून्य

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		को पर्याप्त इक्विटी पूंजी के साथ उधार लेने और अपनी बैलेंस शीट का उचित रूप से विस्तार करने तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर देना चाहती है। समिति का मानना है कि जिस प्रमुख उद्देश्य के साथ विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) की स्थापना की गयी है , अर्थात अवसंरचना वित्तपोषण के लिए आवश्यक बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजार का विकास तथा वित्तपोषण अवसंरचना का कारोबार करने सहित भारत में दीर्घकालिक गैर -आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहयोग देना, उसे प्राप्त करना आवश्यक है।	का निर्माण कर सकती थी।		
13	12	समिति नोट करती है कि सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में एक प्रमुख प्रयास करते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। डीबीयू में क्रेडिट प्रवाह को बढ़ावा देने	75 डिजिटल बैंकिंग इकाई (डीबीयू) स्थापित करने के संबंध में की गयी बजट घोषणा के अनुसरण में डीबीयू स्थापित करने की रूप-रेखा निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डीबीयू की स्थापना संबंधी समिति का गठन किया गया था। डीबीयू विशेषीकृत निर्धारित स्थान कारोबारी इकाइयां होंगी, जिनके पास स्व-सेवा तथा सहायता पद्धति में कार्यकुशल, पेपररहित, सुरक्षित और संबद्ध माहौल में डिजिटल बैंकिंग उत्पाद और सेवा उपलब्ध	स्वीकृत	शून्य

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खोलने की क्षमता है , क्योंकि वे प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और स्थापित करने में सस्ते होंगे। समिति इस घोषणा को आगे नोट करती है कि 1.5 लाख डाकघरों में से सौ प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे , जिससे वित्तीय समावेशन होगा और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुँच आसान होगी और डाकघर खातों और बैंक के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी होगा। खाते जो कि अंतरसंचालनीयता को सक्षम करेंगे और वित्तीय समावेशन को बढ़ाएंगे। समिति डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में इन कदमों पर ध्यान देती है लेकिन सिफारिश करती है कि इन्हें पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए ताकि नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के शिकार न हों और अनधिकृत एलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से सुरक्षित रहें। जब भी पीड़ितों द्वारा इस तरह की डिजिटल धोखाधड़ी की</p>	<p>कराने के लिए डिजिटल अवसंरचना होगी। आरबीआई की समिति की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने संबंधी दिशानिर्देश आरबीआई के दिनांक 7.4.2022 के परिपत्र के द्वारा जारी किए गए थे और ये दिशानिर्देश पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इस परिपत्र में डीबीयू में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है। सभी बैंकों को डीबीयू की अवसंरचना की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा उन्हें डीबीयू की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी थी। इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, डीबीयू से यह अपेक्षा की गई है कि वे सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पद्धति तथा ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में ग्राहक को जानकारी देकर उनमें जागरूकता सृजित करें। आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार डीबीयू से प्रस्तावित सेवाओं को रिजर्व बैंक - समेकित लोक पाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत कवर किया जाएगा और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए सीएमएस पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।</p> <p>रिजर्व बैंक - समेकित लोक पाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 में ग्राहकों की शिकायत, जिसमें आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा की गयी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सहित सेवाओं में कमी शामिल है, का समाधान इस प्रकार से न किया जाए जिससे ग्राहक संतुष्ट हो अथवा विनियमित</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>सूचना दी जाती है , तो त्वरित निवारण का दायित्व संबन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान पर होना चाहिए और ग्राहक को शिकायत निवारण के लिए एक से दूसरे कार्यालय के चक्कर काटने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। आरबीआई के तत्वावधान में बैंकिंग लोकपाल को इस संबंध में , एक सक्रिय और ग्राहक - अनुकूल भूमिका निभानी चाहिए।</p>	<p>संस्था द्वारा 30 दिन के भीतर उत्तर न दिया जाए तो उक्त शिकायत के निःशुल्क समाधान का उपबंध किया गया है। किसी विवाद में उस राशि की कोई सीमा नहीं है जिसे लोकपाल के समक्ष लाया जा सकता है जिसके लिए लोकपाल अधिनिर्णय दे सकता है। तथापि, शिकायतकर्ता को हुए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए, लोकपाल के पास शिकायतकर्ता के समय के नुकसान, किए गए खर्चों और शिकायतकर्ता द्वारा सहन किए गए उत्पीड़न/मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये तक के मुआवजे के अतिरिक्त 20 लाख रु. का मुआवजा देने की शक्तियां होंगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन की गई शिकायतें शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) पर दर्ज की जाएंगी। विनियमित संस्था (आरई) को उन मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होगा जहां लोकपाल द्वारा संतोषजनक और समय पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए उसके विरुद्ध अधिनिर्णय जारी किया जाता है।</p> <p>शिकायतों को त्वरित निवारण आरबीआई के दिनांक 6.7.2017 के परिपत्र के द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में ग्राहक की देयता उपलब्ध कराने का भार बैंक पर होगा।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्राहकों में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है:</p> <p>(क) धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने वाले अपने नियमों पर अभियानों को फिर से चलाकर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में धोखाधड़ी पर आरबीआई के निर्देशों के बारे में ग्राहक को जागरूक करना;</p> <p>(ख) आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सभी ग्राहकों के लिए एकीकृत लोकपाल योगजना के रूप में आरबी-आईओएस के बारे में ग्राहकों को जागरूक करना (बैंक के साथ साथ गैर बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागी) ;</p> <p>(ग) रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) , 2021 पर अखिल भारतीय स्तर पर एक बहु- मीडिया अभियान चलाया जा रहा है ;</p> <p>(घ) यूपीआई धोखाधड़ी और एईपीएस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं।</p> <p>ये सभी अभियान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करने के लिए अन्य राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>समाचार पत्रों में प्रसारित किए जाते हैं। ये अभियान लोकप्रिय टीवी श्रृंखला "कौन बनेगा करोड़पति" का भी एक हिस्सा हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है।</p> <p>आईबीए के परामर्श से आरबीआई द्वारा 75 लोकेशनों को अंतिम रूप दिया गया है। यह परिकल्पना की जाती है कि डीबीयू मुख्य रूप से जागरूकता पैदा करने और देश में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के प्रति ग्राहकों की हिचकिचाहट को कम करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में यह उल्लेख किया जाता है कि डीबीयू के रूप में परिचालन कर रहा बैंक जागरूकता बढ़ाने और ग्राहकों को साइबर शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा:</p> <p>(i) डीबीयू पर आने वाले ग्राहकों को शिक्षित करें कि वे अपने खातों और कार्डों, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पिन आदि के संवेदनशील विवरणों को अज्ञात व्यक्तियों के साथ डीबीयू में बैनर और मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल आदि के माध्यम से संदेश प्रदर्शित करके साझा न करें।</p> <p>(ii) फिशिंग, हैकिंग, स्पूफिंग, स्मिशिंग, सेवा हमले को नकारना आदि पर साइबर सुरक्षा जागरूकता का आयोजन स्थानीय भाषा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। ग्राहकों को क्या करें और</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>क्या न करें के लिए जागरूक किया जाएगा जब वे डिजिटल बैंकिंग इकाई- डीबीयू पर जाते हैं।</p> <p>(iii) डीबीयू एटीएम स्क्रीन पर या डीबीयू लाउंज में स्थापित वीडियो वॉल पर लगाई गई साइबर सुरक्षा वीडियो।</p> <p>(iv) साइबर सुरक्षा जागरूकता पर डीबीयू में यादृच्छिक (रैंडम) प्रश्नोत्तरी।</p> <p>(v) डिजिटल धोखाधड़ी पर ग्राहक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन।</p>		
14	13	<p>समिति आगे चाहती है कि बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा देने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाए और प्रयोक्ताओं में विश्वास पैदा किया जाए क्योंकि आबादी के एक बड़े हिस्से में डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को स्वीकार करने में प्रारंभिक अवरोध और आशंकाएं विद्यमान हैं। प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम से कम किया जा सके और ऑनलाइन दुर्घटना के मामले में नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ेबड़े विज्ञापनों-, नुककड़ नाटकों, संगोष्ठियों, पोस्टर आदि के माध्यम</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विषयगत मल्टीमीडिया- अभियानों, टेलीविजन और सोशल मीडिया अभियानों पर अद्वितीय सामग्री में भागीदारी के माध्यम से उनका संचार विभाग नियमित रूप से मासिक आधार पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। ये अभियान टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा थिएटर, वेबसाइट, एसएमएस, होर्डिंग, प्रिंट माध्यम, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चैनलों में इन सभी अभियानों का चयन किया जाता है।</p> <p>हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान 'डिजिटल अपनाओ ,सुरक्षित रहो' नाम से अभियान चलाए। शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए आरबीआईओएस-, 2021 पर एक मल्टीमीडिया अभियान भी चलाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न अन्य मल्टी</p>	स्वीकृत	शून्य

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		से व्यापक प्रचार करके पर्याप्त रूप से जागरूक और संसूचित करने की आवश्यकता है ताकि ऐसा तरीका विकसित किया जाए जिससे उनके दायित्व को कम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में सुरक्षित है।	मीडिया अभियानों और सोशल मीडिया अभियानों में अन्य बातों के साथसाथ- बैंकिंग लोकपाल पर 360° सम्पूर्ण अभियान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाओं पर बहुमीडिया अभियान- ग्राहक की सीमित देयता, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, कार्ड पर सीमा निर्धारित करना, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा, काल्पनिक प्रस्ताव, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, बैंक में मोबाइल नंबर और ईमेल पंजीकृत करना, अनधिकृत डिजिटल उधार देने वाले प्लेटफार्ममोबाइल ऐप्स/, केवाईसी को अद्यतन करने संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉलसंदेश/, ओटीपी, पिन और बैंक खाते के विवरण आदि को साझा न करने के खिलाफ चेतावनी संदेश।		

अनुबंध-II

पूर्ववर्ती पांच वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकेंद्रीकृत प्रापण स्कीम को संचालित करने वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी की गई सब्सिडी:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम		डीसीपी राज्य	जारी की गई कुल सब्सिडी
	जारी की गई वास्तविक सब्सिडी*	एनएसएसएफ कर्ज का समायोजन करने के उपरांत जारी की गई निवल सब्सिडी	जारी की गई सब्सिडी	
	(1)	(2)	(3)	
2017-18	*101981.69	61981.69	38000	139981.69
2018-19	*140098.00	70098	31029.49	171127.485
2019-20	*119164.02	75000	**44944.35	164108.37
2020-21	462789.00	##462789.00	66901.77	529690.77
2021-22	208929.00	208929.00	79789.54	288718.54
2022-23 (31.5.2022 तक)	25000.00	25000.00	16.54	25016.54

*इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40,000 करोड़ रुपए की एनएसएसएफ की राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 70,000 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 44,164.02 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

**वर्ष 2019-20 का संशोधित अनुमान 33,508.35 करोड़ रुपए का था। इसमें डीसीपी राज्यों (एनएसएसएफ कर्ज से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को जारी की गई 11,436 की राशि भी शामिल है और वर्ष 2020-21 के दौरान डीसीपी शीर्ष से भारतीय खाद्य निगम को प्रतिपूर्ति की गई राशि के समतुल्य थी।

4,62,789.00 करोड़ रुपए की राशि में से, 3,39,256.00 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 को भारतीय खाद्य निगम के एनएसएसएफ के संपूर्ण कर्ज की चुकौती कर दी गई थी।

पिछले 5 वर्षों के दौरान डीसीपी राज्यों को जारी की गई सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	6060.17	4542.57	7404.42	8424.72	9323.38
2	बिहार	4535.11	2291.68	2535.71	4117.33	7671.90
3	छत्तीसगढ़	4272.36	3303.19	4628.11	7193.13	9047.77
4	गुजरात	-	9.31	69.03	9.24	749.43
5	कर्नाटक	166.95	417.53	205.79	323.99	1682.12
6	केरल	782.06	620.23	469.30	1214.98	1777.86
7	मध्य प्रदेश	8113.23	6026.97	8888.39	11946.44	14420.62
8	महाराष्ट्र	583.66	0.00	1920.17	2555.74	4082.07
9	ओडिशा	5133.57	4651.01	5807.45	8985.73	7892.69
10	पंजाब	796.33	1722.33	1612.09	1761.53	2047.53
11	तमिलनाडु	651.70	1136.61	3242.79	3109.76	6250.93
12	तेलंगाना	3853.71	2559.31	4858.89	6879.59	7665.02
13	उत्तराखंड	860.11	329.8	903.12	1371.33	1554.43
14	पश्चिम बंगाल	2042.30	3279.69	2194.86	8792.03	5421.34
15	झारखण्ड#	-	-	-	3.66	-
16	त्रिपुरा	-	-	-	29.79	15.58
17	डीबीटी	148.74	139.25	204.24	182.78	186.87
	कुल	38000	31029.48	44944.36	66901.77	79789.54

झारखंड केएमएस 2016-17 के लिए डीसीपी (केवल 1 जिले के लिए), वर्ष 2017-18 के लिए (केवल 5 जिलों के लिए) और वर्ष 2018-19 के लिए (केवल 6 जिलों के लिए) था। उन्होंने केएमएस 2019-20 में गैर-डीसीपी को स्वीकार कर लिया है।

Annexure

Statement showing Action Taken on the recommendations/Observations contained in the Fortieth Report of the Standing Committee on Finance(17th Lok Sabha) presented in Lok Sabha/laid in Rajya Sabha on 22nd March,2022.

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
1	1	The Committee have been impressing upon the need for realistic preparation of budget estimates and revised estimates and full utilisation of allocated funds. The Department of Economic Affairs, being the nodal department in formulation of the budget is expected to observe the requisite financial norms and maintain fiscal prudence, while making budgetary allocations and thus endeavour to be a role model for other Ministries/departments in preparation of realistic estimates and optimal utilisation of funds sanctioned. The Committee note that in the year 2021-22, the BE of Rs. 99549.53 crore was drastically reduced to Rs. 55168.83 crore in the revised estimates i.e. a steep decrease of	<p>It is submitted that total expenditure under the DEA grant was ₹7602.84 crore from 15.02.2022 to 31.03.2022. Out of Rs.7602.84 crore, ₹7096.69 crore was booked in the month of March, 2022 mainly due to the following reasons:-</p> <p>(i). Actual provision of ₹1069.86 crore over BE 2021-22 under Revenue Section could only be made available by way of 3rd and Final Supplementary Demands for Grants (2021-22) which was approved on 23.03.2022, accordingly the funds could be utilised in the month of March, 2022.</p> <p>(ii). Inter Account transfer of ₹1236.93 crore towards National Investment Fund (NIF) (Budget Head: 5465.01.797.02.00.63) was made in the Month of March, 2022 on the basis of actual expenditure occurred in National Investment and Infrastructure Fund(NIIF) during the F.Y. 2021-22.</p> <p>(iii). Inter Account transfer of ₹1409.06 crore towards Gold Monetization Scheme (GMS), 2015 (Budged Head: 4046.00.206.06.00.54) was made in the Month of March, 2022 on the basis of information received from RBI w.r.t. total gold mobilised during the F.Y. 2021-22.</p>	Yes	-

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Rs. 44380.70 crore. The reason cited by DEA for the decreased fund requirement is mainly on account of the Support for Infrastructure Pipeline, which was a centralized provision made in the demands of DEA to cater to the requirement of funds for projects / programs of various departments that show good progress on capital expenditure during the course of the year. The Committee are informed that the provision was accordingly reallocated for utilization by the various Ministries / Departments for their capital expenditure. It is further informed by the Department that the actual expenditure for 2021-22 as on 14.02.2022 is Rs. 40149.32 crore. The Committee would like to point out that compared to the RE 2021-22, the Department still has about Rs. 15019.51 crore (as on 14.02.2022) which remains	(iv). ₹769.38 crore was made to International Financial Institutions in the month of March, 2022 on the basis of demand raised by them. 2. In view of above, DEA's Grant may not be considered for expenditure booked in the month of March, 2022 as instances of " <i>March rush in expenditure</i> ", however, Hon'ble Committee's recommendation has been noted for future compliance.		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																								
1	2	3	4	5	6																								
		unutilised with just about a month and a half to go for this financial year. Needless to emphasise, such chronic instances of "March rush in expenditure" should be clinically avoided and evenness in spending should be maintained across quarters instead of heavy expenditure in last quarter. This is necessary for better targeting and absorption of funds allocated while keeping the economy on the path of growth and fiscal stability.																											
2	2.	With regard to Major Head 5465-investment In General Financial and Trading institution, the Committee note that the budget estimate for 2019-20 was Rs. 2247.01 crore and the actual was Rs. 4041.34 crore while BE FY 2020-21 was Rs. 13500.03 crore and actual was Rs. 7482.72 crore. The actual expenditure up to 31.12.2021 is just Rs. 1219.43 crore against the budgeted allocation of Rs.10750.01 crore. The Committee would expect the	<p>With regard to Major Head 5465-Investments in General Financial and Trading institutions, the following table and year wise reply may be seen:-</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th><th>F.Y.</th><th>BE</th><th>RE</th><th>Actual Expenditure</th><th>Savings (BE + Supplementary - Actual Expenditure)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>2019-20</td><td>2247.01</td><td>7000.02</td><td>4041.34</td><td>1958.68</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>2020-21</td><td>13500.03</td><td>8666.17</td><td>7482.72</td><td>6017.31</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>2021-22</td><td>10750.01</td><td>9500.01</td><td>4165.07</td><td>6584.94</td></tr> </tbody> </table>	Sl. No.	F.Y.	BE	RE	Actual Expenditure	Savings (BE + Supplementary - Actual Expenditure)	1.	2019-20	2247.01	7000.02	4041.34	1958.68	2.	2020-21	13500.03	8666.17	7482.72	6017.31	3.	2021-22	10750.01	9500.01	4165.07	6584.94	Yes	-
Sl. No.	F.Y.	BE	RE	Actual Expenditure	Savings (BE + Supplementary - Actual Expenditure)																								
1.	2019-20	2247.01	7000.02	4041.34	1958.68																								
2.	2020-21	13500.03	8666.17	7482.72	6017.31																								
3.	2021-22	10750.01	9500.01	4165.07	6584.94																								

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Ministry of Finance to refrain from such Instances of Inconsistent allocations in the budgetary exercise as a whole. The Committee would like to further highlight that schemes / activities should be adequately provided for and nurtured systematically and implemented vigorously so that desired objectives are fully achieved in the manner envisaged.	<p><u>2019-20</u></p> <p>Under MH: 5465, the original grant was ₹2247.01 crore in BE 2019-20. This was augmented to ₹7000.02 crore by obtaining supplementary grant of ₹3753.01 crore and ₹1000.00 crore through re-appropriation of funds. Actual Expenditure was ₹4041.34 crore resulting in savings of ₹ 1958.68 crore. The savings was mainly due to the following reasons:-</p> <p>(i). <u>Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC) (Budget Head: 5465.01.190.45):</u> BE 2019-20 was ₹1000.00 crore. Entire provision remained unutilised due to Non-operationalization of the scheme.</p> <p>(ii). <u>National Investment Fund (Budget Head: 5465.01.797.02):</u> - ₹1000.00 crore was provisioned for support to Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC), however the fund could not be transferred due to NIL expenditure under ISSIFC.</p> <p>(iii). <u>Special Window for Affordable and Middle-Income Housing (SWAMIH) (Budget Head: 5465.01.190.50):</u> - ₹1000.00 crore was provisioned for SWAMIH at RE 2019-20 stage. Actual expenditure was ₹41.35 crore resulting in savings of ₹958.65 crore. The reason for low expenditure was that the fund was approved in November 2019. Further, it took some time for setting up the fund and completing necessary formalities including formulating of guidelines for making releases under the fund, appointing Investment Manager, setting up of the investment committee for taking investment decisions, processing of applications for release</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																								
1	2	3	4	5	6																								
			<p>of funds under the scheme, etc. The releases under SWAMIH Fund gathered pace in the subsequent financial years.</p> <p>2020-21</p> <p>Under MH: 5465, the original grant was ₹13500.03 crore in BE 2020-21. This was reduced to ₹8666.17 crore at RE 2020-21. Further, there was two token supplementary of 0.01 crore each were obtained under MH: 5465 for the F.Y. 2020-21. The sub-head wise details of budget provisioning may be seen as under:-</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.N.</th><th>Budget Head</th><th>Description</th><th>BE</th><th>BE+ Supplementary</th><th>RE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>5465.01.190.40</td><td>National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL)</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>5465.01.190.45</td><td>Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC)</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>5465.01.190.46</td><td>Investment into National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)</td><td>500.00</td><td>500.005</td><td>4750.00</td></tr> </tbody> </table>	S.N.	Budget Head	Description	BE	BE+ Supplementary	RE	1.	5465.01.190.40	National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL)	0.01	0.01	0.01	2.	5465.01.190.45	Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC)	0.01	0.01	0.01	3.	5465.01.190.46	Investment into National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)	500.00	500.005	4750.00		
S.N.	Budget Head	Description	BE	BE+ Supplementary	RE																								
1.	5465.01.190.40	National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL)	0.01	0.01	0.01																								
2.	5465.01.190.45	Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC)	0.01	0.01	0.01																								
3.	5465.01.190.46	Investment into National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)	500.00	500.005	4750.00																								

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government						Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4						5	6
			4.	5465.01.190.48	Security printing and minting corporation of India Limited (SPMCIL)	0.01	0.01	0.01		
			5.	5465.01.190.50	Special Window for Affordable and Middle-Income Housing	0.00	0.01	916.14		
			6.	5465.01.190.51	Capital Infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform	0.00	0.005	1000.00		
			7.	5465.01.797.02	National Investment Fund(NIF)	13000.00	13000.00	2000.00		
					Total (MH: 5465)	13500.03	13500.05	8666.17		
			<p>2. Actual Expenditure was ₹7482.72 crore under MH: 5465 resulting in savings of ₹6017.33 crore. It is also submitted that ₹12500.00 crore was provisioned as BE 2020-21 under NIF (Inter-Account transfer) (Budget Head: 5465.01.797.02) to support for Infrastructure Pipeline (Budget Head: 5475.00.800.27) which was reduced to nil provision at RE 2020-21 stage. Therefore, the savings was mainly due to non-transfer of ₹12500.00 crore owing to consequential effects of non utilisation of funds under Support for Infrastructure Pipeline.</p>							

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p><u>2021-22</u></p> <p>Under MH: 5465, the original grant was ₹10750.01 crore in BE 2021-22. This was reduced to ₹9500.01 crore at RE 2020-21. Actual Expenditure was ₹4165.07 crore resulting in savings of ₹ 6584.94 crore. The savings was mainly due to the following reasons:-</p> <p>(i). <u>Investment into National Investment and Infrastructure Fund (Budget Head: 5465.01.190.46):</u> - BE 2021-22 was ₹5000.00 crore, however the actual expenditure is ₹1236.93 crore resulting in savings of ₹3763.07 crore. In this connection, it is stated that the quantum of expenditure under NIIF during a year depends on the investment opportunities that may arise during the year. Therefore, a realistic estimate of requirement of funds is made in consultation with the investment manager for seeking funds in BE/RE, based on anticipated investment opportunities. Whenever any of the anticipated investment opportunities do not materialize, there is less expenditure during the financial year.</p> <p>(ii). <u>Special Window for Affordable and Middle-Income Housing (Budget Head: 5465.01.190.50):</u> - BE 2021-22 was ₹2250.00 crore, however the actual expenditure is ₹991.21 crore resulting in savings of ₹1258.79 crore. Saving was due to less requirement of funds by portfolio companies owing to decrease in construction activity due to Second Wave of Covid.</p> <p>(iii). <u>Capital Infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform (Budget Head: 5465.01.190.51):</u> - Investment into National Investment and Infrastructure Fund: - BE 2021-22 was ₹1000.00 crore, however the actual expenditure is</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>₹700.00 crore resulting in savings of ₹300.00 crore. In this connection, it is stated that the quantum of expenditure under NIIF IDF during a year depends on the investment opportunities that may arise during the year. Therefore, a realistic estimate of requirement of funds is made in consultation with the investment manager for seeking funds in BE/RE, based on anticipated investment opportunities. Whenever any of the anticipated investment opportunities do not materialize, there is less expenditure during the financial year.</p> <p>(iv). <u>National Investment Fund (Budget Head: 5465.01.797.02):</u> - BE 2021-22 was ₹2500.00 crore, however the actual expenditure is ₹1236.93 crore resulting in savings of ₹1263.07 crore. Saving is due to consequential effects of less investments in NIIF than estimated.</p> <p>2. From the above, it transpires that provisioning were made under MH: 5465 on genuine demands from the concerned Divisions. Further, expeditious scheme implementation depends on various factors such as drawing up detailed scheme implementation guidelines, selection of implementing agencies, compliance of various statutory requirements before release of funds, etc. In certain cases, sluggish responses than anticipated results into slow pick-up of the schemes. However, Hon'ble Committee's recommendation has been noted for future compliance.</p>		
3	2	The Committee are also concerned about the limited drawdowns from the National Investment Fund (NIF) over the	The proceeds from 'disinvestment receipts' are channelled through a reserve fund, called 'National Investment Fund', in Public Account. The amount so credited to National Investment Fund	Yes	

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																					
1	2	3	4	5	6																					
		years and its meagre Impact In terms of multiplier effect it was envisioned to bring in the economy i.e a significant corpus of government capital/equity investment in turn supporting a greater corpus in terms of debt Investment. The Committee desire that this multiplier effect be efficiently realised and the government make gainful use of the corpus fund as mandated.	<p>are utilized for identified schemes of Government with due appropriation authorised by Parliament.</p> <p>2. The details of proceeds realized and utilized through 'National Investment Fund (NIF)' for the last four (4) years and budgeted numbers reflected in BE 2022-23 are given below:</p> <p style="text-align: right;">(₹ crore)</p> <table><tr><th>Year</th><th>Amount realised as disinvestment proceeds</th><th>Amount transferred to NIF and utilized therefrom</th></tr><tr><td>2018-19</td><td>72619.54</td><td>78496.20</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>48234.46</td><td>58699.99</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>29720.46</td><td>31907.61</td></tr><tr><td>2021-22 (RE)</td><td>78000.00</td><td>118863.84</td></tr><tr><td>2022-23 (BE)</td><td>65000.00</td><td>64865.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>293574.46</td><td>352832.64</td></tr></table> <p>3. It may be observed from the Table given above, the cumulative utilisation during the last five (5) years is much more than the disinvestment proceeds realized from disinvestment of Government's equity holding in CPSUs.</p> <p>4. At present, the proceeds are utilized towards not only further capital creation like construction of Railways, Roads, capital infusion in banks but also utilized towards development of social infrastructure in health, school education and higher education.</p>	Year	Amount realised as disinvestment proceeds	Amount transferred to NIF and utilized therefrom	2018-19	72619.54	78496.20	2019-20	48234.46	58699.99	2020-21	29720.46	31907.61	2021-22 (RE)	78000.00	118863.84	2022-23 (BE)	65000.00	64865.00	Total	293574.46	352832.64		
Year	Amount realised as disinvestment proceeds	Amount transferred to NIF and utilized therefrom																								
2018-19	72619.54	78496.20																								
2019-20	48234.46	58699.99																								
2020-21	29720.46	31907.61																								
2021-22 (RE)	78000.00	118863.84																								
2022-23 (BE)	65000.00	64865.00																								
Total	293574.46	352832.64																								
4	3	The Committee recommend that the output outcome be made more	Output Outcome Monitoring Framework (OOMF) in respect of all Central Sector (CS) and Centrally Sponsored Schemes (CSS) is	OOMF is calibrated in																						

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		comprehensive and figures of achievement of the previous two or more fiscal years along with outputs and outcomes of the current fiscal year be included for better understanding and clearer picture of the objectives achieved. The Committee believe this will help in understanding whether the money spent last year for purpose has actually achieved the intended objectives.	formulated by the NITI Aayog in consultation with respective Ministries/ Departments and DoE. The formulation of OOMF and its improvisation is an ongoing exercise and involves continuous process of consultation between NITI Aayog, DoE and administrative Ministries/ Departments. Moreover, OOMF review meetings are also held periodically with respective Ministries/ Departments in NITI Aayog to discuss output and outcome indicators and progress of the schemes.	design towards achievement of outcome through annual/periodic outputs within a given fiscal outlay over a particular time frame. Fiscal outlays for schemes have been aligned with the finance commission cycle. Budgetary resources are made available within the overall fiscal outlays in order to ensure that at the end of the cycle, the	

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
				desired outcomes are achieved. This is further corroborated by the end of cycle mandatory third party evaluation. In view of above, Government has not accepted the recommendation.	
5	4	The Committee observe that the revised estimates for the Department of Public Enterprises for the year 2021-22 rose by Rs. 155.19 crore to Rs. 177 crore from the initial budget allocation of Rs. 21.81 crore. It was informed that the sharp increase in the allocation is due to provisions for setting up of Special Purpose Vehicle (SPV) for monetization of	DPE has issued Guidelines for implementation of Public Sector Enterprises (PSE) New policy for CPSEs in non-strategic sector vide OM NO. DPE 3(1)/ 2021-DD dated 13 th December, 2021. Wherein, all kinds of leasehold land of the CPSEs will be returned back to the State Government without insisting on any compensation (if due as per lease agreement). Further, the Cabinet in its meeting held on 09.03.2022 has approved for setting up of National Land Monetization Corporation (NLMC) as a Special Purpose Vehicle (SPV) for monetization of non-core assets of CPSEs as well as other Government agencies. Accordingly, the NLMC has been incorporated by DPE as a 100 percent GOI	Partially Accepted	One of the suggestion of the Committee is selling the land at a higher cost after developing the land rather than

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>surplus land with government Ministries/ Departments and Public Sector Enterprises which has been initiated by DIPAM. The Committee were further informed that it has been decided that once the SPV is approved, the work related to it shall be handled by DPE. The Committee believe that the SPV for putting together of landholdings can be a major monetisation opportunity and execution of the plan remains key to its success. The Committee suggest selling the land at a higher cost after developing the land rather than just settling for the land value. The added value holds the potential to wonderfully aid the economy, given the current fiscal situation and the massive significant landholdings possessed by the Government. The Committee recommend bringing in commercial/ private expertise to ensure maximum value out of the significant landholdings. In the same vein, the Committee would like to point towards the need for</p>	<p>company. The NLMC will be manned by professionals and eminent personalities from various sectors like real estate, banking, investment fund and constructions etc. Based on the nature of Land/ Assets a suitable method of monetization will be adopted by the NLMC to ensure recovery of maximum value of the assets.</p>		<p>just settling for the land value. This may not be feasible in respect of every land parcel, as it is envisaged that such work is better taken up by the buyer/ concessionaire.</p>

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		development/ redevelopment of land of certain PSUs and public enterprises which have long been shut down/ disinvested and their idle land is now being encroached. Also, on the impasse of certain landholdings with the state governments, the Committee desire that amicable solutions be reached so that valuable lands don't end up with no ownership or no value to the Government.			
6	5	<p>The Committee are of the view that meeting disinvestment targets is pivotal to the budget and wavering from the estimates may lead to quantum change in the fiscal dynamics and desire that disinvestment becomes more credible, purposeful and transparent.</p> <p>DIPAM to publish an annual report on how it has managed public assets- in particular, whether DIPAM is creating value or whether it has eroded value on an annual basis for the general</p>	<p>The Committee has been informed that considering the limited disinvestment window (above 51% equity level), problem of price overhang and probability of closing ongoing transactions, a more pragmatic disinvestment target for the FY 2022-23 (BE) has been fixed. All efforts will be made by the Department for achievement of target. However, the market dynamics including global factors, interest of investors and performance of CPSE stocks are dynamic factors that influence disinvestment transactions. Nevertheless, the Government will continue to work on bottom up and pragmatic approach to fix the disinvestment and dividend targets so that the targets and actual achievement are better aligned subject to uncertainties and unpredictability of the markets.</p> <p>As regards the recommendation of the Committee to publish an annual report on how it has managed to create value in public assets, the CPSEs are primarily monitored by concerned</p>	Accepted	

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		public.	<p>Administrative Ministries and DPE publishes an Annual Public Enterprise Survey containing volumes of information on the working of CPSEs. DPE and Administrative Ministries have also a detailed process of Annual MoUs with CPSEs. DIPAM, alongwith Administrative Ministries, handles and monitors disinvestment of GoI equity and dividend receipts from the CPSEs.</p> <p>Government agrees that periodic studies with the help of professional /academic institutions can supplement the Annual Public Enterprises Survey on the status of value creation in the CPSE space. The studies can also be undertaken at appropriate intervals how strategic disinvestment/privatization has contributed to realising economic potential of the enterprises post-privatization.</p>		
7	6	The Committee note the sharp jump of 35.4% in capex to fund various Infrastructure projects in 2022-23 i.e the Government is to invest Rs.7.50 lakh crore as capital expenditure next fiscal year, a sharp increase from Rs.5.54 lakh crore in the current year. The Committee hope that the allocated fund be productively, efficiently and adequately utilised and the set target of Rs.7.50 lakh crore be fully achieved.	GoI has been working towards fast-tracking of capital expenditure. Finance Minister took review meetings of major infrastructure Ministries/ Departments on Capital Expenditure plans and suggested measures to expedite infrastructure investment. Also M/o Finance conducts regular review meetings with concerned line ministries to expedite implementation of projects and rectify bottlenecks, if any. It will also monitor progress of capital expenditure and implementation of projects under National Infrastructure Pipeline (NIP) on regular basis and encourage infra ministries to front-load capital expenditure by fast-tracking implementation of infrastructure projects. Through all these mechanisms, M/o Finance will be able to push forward infra spending and achieve capex of over 100% of the BE similar to FY 2021-22.	Yes	

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																																										
1	2	3	4	5	6																																										
			<p>Capital investment holds the key to sustained economic revival by creating more employment opportunities, enhanced demand for manufactured inputs from industries etc. Increase in public investments lead towards virtuous cycle of growth. Enhanced capital expenditure is critical in re-vitalizing the economy post-pandemic due to its multiplier effect. Accordingly, in BE 2022-23, the outlay for capital expenditure has been stepped up to Rs. 7.50 lakh cr. The major sectors for this capital expenditure are as under:</p> <table><tr><th rowspan="2">S. No.</th><th rowspan="2">Min/Dept./Sectors</th><th colspan="2">Capital outlay in BE 2022-23</th></tr><tr><th>Amount (Rs. cr.)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>Road Transport & Highways</td><td>1,87,744</td><td>25%</td></tr><tr><td>2</td><td>Railways</td><td>1,37,100</td><td>18%</td></tr><tr><td>3</td><td>Defence Capital</td><td>1,52,370</td><td>20%</td></tr><tr><td>4</td><td>Telecom</td><td>54,150</td><td>7%</td></tr><tr><td>5</td><td>Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure</td><td>1,00,000</td><td>13%</td></tr><tr><td>6</td><td>Housing and Urban Affairs (Metros)</td><td>27,341</td><td>4%</td></tr><tr><td>7</td><td>Atomic Energy</td><td>14,283</td><td>2%</td></tr><tr><td>8</td><td>Others</td><td>77,258</td><td>10%</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>7,50,246</td><td>100%</td></tr></table>	S. No.	Min/Dept./Sectors	Capital outlay in BE 2022-23		Amount (Rs. cr.)	%	1	Road Transport & Highways	1,87,744	25%	2	Railways	1,37,100	18%	3	Defence Capital	1,52,370	20%	4	Telecom	54,150	7%	5	Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure	1,00,000	13%	6	Housing and Urban Affairs (Metros)	27,341	4%	7	Atomic Energy	14,283	2%	8	Others	77,258	10%		Total	7,50,246	100%		
S. No.	Min/Dept./Sectors	Capital outlay in BE 2022-23																																													
		Amount (Rs. cr.)	%																																												
1	Road Transport & Highways	1,87,744	25%																																												
2	Railways	1,37,100	18%																																												
3	Defence Capital	1,52,370	20%																																												
4	Telecom	54,150	7%																																												
5	Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure	1,00,000	13%																																												
6	Housing and Urban Affairs (Metros)	27,341	4%																																												
7	Atomic Energy	14,283	2%																																												
8	Others	77,258	10%																																												
	Total	7,50,246	100%																																												

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<p>This investment taken together with the provision made for creation of capital assets through Grants-in-Aid to States, the 'Effective Capital Expenditure' of Central Government is estimated at Rs. 10.68 lakh crore in 2022-23, which will be about 4.1% of GDP. This will hopefully set forth a multiplier effect in the economy on growth and employments, besides helping in creation of national assets.</p> <p>2. GoI has been working towards fast-tracking of capital expenditure. Last year, Finance Minister took review meetings of major infrastructure Ministries/ Departments on Capital Expenditure plans and suggested measures to expedite infrastructure investment, which are provided below</p> <ol style="list-style-type: none"> Ministries to front-load their capital expenditure to achieve more than their CAPEX targets and efforts need to be complemented by the Public Sector Enterprises Ministries to actively work on getting projects funded through innovative structuring and financing and provide all support to private sector for enhancing infrastructure spending, including exploring Public Private Partnership mode for viable projects. Ministries to push expenditure on large important projects to ensure that the achievement is commensurate with timelines and to take up regular reviews of sector-specific projects with State Governments for effective implementation of the same. <p>3. Regular review meetings by line Ministries and Cabinet Secretariat have been undertaken. Also M/o Finance conducts regular review meetings with concerned line ministries to expedite implementation of projects and rectify bottlenecks, if any. It will</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			also monitor progress of capital expenditure and implementation of projects under National Infrastructure Pipeline (NIP) on regular basis and encourage infra ministries to front-load capital expenditure by fast-tracking implementation of infrastructure projects. 4. Through all these mechanisms, M/o Finance will be able to push forward infra spending and achieve capex of over 100% of the BE similar to FY 2021-22.		
8	7.	“The Committee desired that there should be seamless flow of funds which are allocated to the State under various announcements/schemes from the Centre as sound public finances are a precondition for sustained growth. In this regard, the Committee would like to highlight the issue faced by State Governments while borrowing from Government of India to facilitate procurement of paddy from farmers. Due to provisional advance subsidy not being provided on time, the States later end up paying interest on the said borrowing without any reimbursement. Ensuring transparency and fixing responsibility is required to reach	Release of Food Subsidy to States which have adopted Decentralized Procurement Operation (DCP) and Food Corporation of India (FCI) is dealt with by the Department of Food and Public Distribution (DFPD). States are allocated food grains at subsidized rates under National Food Security Act (NFSA) and Other Welfare Schemes (OWS). Difference between Economic Cost and Central Issue Price (CIP), at which food grains are issued to non-DCP States, is reimbursed to FCI as food subsidy. Further, FCI also releases funds to non-DCP States for quantum of food grains received by FCI from them. In case of DCP States, food subsidy is directly released to States by Government of India for quantity of food grains procured and distributed by them under NFSA and OWS. DCP States submit quarter-wise subsidy bills of previous/current quarter for reimbursement of funds incurred by them for implementation of DCP scheme. The provisional/advance claims received from State Government are processed keeping in view the opening and closing balance of stocks, procurement, allocation and distribution of food grains, FCI reconciliation, Utilization Certificate, Economic Cost of food grains etc., among others.	Mechanism is already in place for smooth flow of funds for procurement of foodgrains.	

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		a systemic solution to the problem so that the objects of the scheme can be effectively attained. Fund released to States under various heads by the Central government and the Finance Commission should be clarified and provided in the public domain in a transparent fashion for the general public."	<p>The provisional/advance subsidy is released without waiting for final audited accounts. To ensure distribution of food grains among vulnerable sections of society, timely food subsidy (as allocated by Ministry of Finance) is released by DFPD. The provisional subsidy comprises 100% of Fixed Cost (Cost associated with MSP, Statutory Charges, Milling Charges) and up to 95% of rest of procurement incidentals such as Transportation, Interest, Gunny, Labour Charges, Storage Charges etc. For claiming the remaining subsidy, DCP States are required to submit their final accounts for concerned Kharif Market Season (KMS)/Rabi Market Season (RMS) and the balance subsidy, if any, is released.</p> <p>Food Subsidy released to FCI and DCP States by DFPD during five years is as per Annexure-II and III, which is provided in the public domain through replies to RTI applications and Parliament Questions.</p>		
9	8.	The Committee observe that the BE on Interest Payments (on net basis) has risen by Rs. 130949.7 crore from Rs. 809701.32 crore BE (2021-22) to Rs. 940651.02 crore i.e an increase of 16.17%. The Committee were informed that this higher provision has been incorporated owing to higher volume of borrowing through issuance of government securities coupled with the	In the Budget 2021-22 speech, the Government has announced to reach a fiscal deficit level below 4.5% of GDP by 2025-26. Accordingly, the Government is pursuing a broad path of fiscal consolidation. Fiscal deficit in BE 2022-23 has been pegged at 6.4% of GDP, lower than 6.9% of GDP in RE 2021-22. Proposed fiscal consolidation will also help to bring down debt/GDP ratio.	Accepted	

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		anticipation of policy action from RBI which may result in hardening of yield. The Committee would like to emphasize on the need for measures that need to be undertaken at the earliest to rein in interest payments. The Committee feel that it is cardinaly important to bring down the fiscal deficit and efficiently manage the soaring Debt-GDP ratio so that the economy can stay on the path of fiscal stability.			
10	9	The Committee observe, at the outset that the banking system appears to have weathered the pandemic shock well with respect to Non-Performing Assets. (NPAs). The Committee are Informed that contrary to RBI's Financial Stability Report projections of the gross NPA ratio of Scheduled Commercial Banks Increasing from 7.48 percent in March, 2021 to 9.80 percent by March, 2022, the NPA figures at the gross level for Public Sector Banks have	<p>NPA management of the banks is a crucial pillar in the financial health of the system as a whole. It instills discipline in borrowers and brings about a credit culture ethos that is conducive for the economy as a whole. Banks have as a continuous process implemented various measures for effective NPA management which are as below.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. classification of accounts as special mentioned accounts (SMA) for early recognition of signs of incipient stress resulting in default in timely servicing of debt obligations, enabling banks to initiate timely remedial actions to prevent their potential slippages into NPAs; ii. institution of comprehensive, automated Early Warning Systems (EWS) in banks, with ~80 EWS triggers, using third-party data and workflow for time-bound remedial 	Accepted	Nil

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>decreased from 9.11 percent as on 31 March, 2021 to 7.90 percent as on 31 December, 2021. The Committee would like to caution against any early euphoria on this count, as there may still be some lag impact of the pandemic for the banking sector in the pipeline. Absorbing excess liquidity that was injected as part of the pandemic response to stimulate the economy is necessary, as there may be the possibility of an increase in NPAs. The Committee feel that prudence is still required and the steps taken by the Government to reduce NPAs and to effect recovery such as the change in credit culture brought about by Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), amendment of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act to make it more effective, action against wilful defaulters by RBI and SEBI, increasing Jurisdiction of Debt Recovery</p>	<p>actions, to proactively detect stress and reducing slippage into NPAs;</p> <p>iii. Reserve Bank of India's (RBI) extant instructions issued under "Master Directions on Frauds" provide an indicative list of 42 Early Warning Signals (EWS) for guidance of banks, and banks have been advised to choose to adopt or adapt the relevant signals from the list and also include other alerts/signals based on their experience, client profile and business models.</p> <p>iv. The status/level of implementation of the EWS framework and its effectiveness is assessed by RBI during the supervisory process. In case of any gaps/deficiencies observed by RBI, during the supervisory process, it follows up with the banks for compliance/rectification.</p> <p>v. repayment behavior of borrowers in their loan accounts is reported to credit information companies (CICs), and banks include these information in the credit appraisal and decision making process for further sanctioning of loans to borrowers.</p> <p>Due to all the measures taken by the banks the gross NPAs of Scheduled Commercial Banks, as per RBI data on global operations, have declined from Rs. 8,35,501 crore (GNPA ratio of 7.33%) as on 31.3.2021 to Rs. 7,73,470 crore (GNPA ratio of 6.39%) as on 31.12.2021.</p> <p>Further, the gross NPAs of PSBs for which data is available at present, have declined from Rs. 6,16,616 crore (GNPA ratio of 9.11%) as on 31.3.2021 to Rs. 5,43,498 crore (GNPA ratio of 7.31%) as on 31.3.2022. The data is as per the latest audited balance sheets of the PSBs.</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Tribunals, government Infusion to supplement the raising of capital by PSBs to equip them to take decision on resolution of NPAs etc. should be continued with the same vigour.	<p>To mitigate the adverse impact of the pandemic over the financial system RBI has announced various regulatory measures, while not losing sight of the financial stability and prudential considerations, which <i>inter alia</i> permitted lenders to restructure stressed accounts on account of Covid-19, within the ambit of the Resolution Frameworks 1.0 and 2.0 released on 6.8.2020 and 5.5.2021 (partly modified on 4.6.2021) respectively, while continuing to classify the accounts as 'Standard'. These Frameworks were designed with sufficient safeguards and well-defined boundary conditions in the form of strict eligibility conditions, pre-defined expiry clauses, provisions for external validation regarding viability of the resolution plans, moratorium cap of two years, strict post-restructuring monitoring conditions etc.</p> <p>RBI has apprised that the real stress in the loan accounts where the Resolution Plans have been implemented under the above Frameworks may manifest only after the initial moratoria expire and regular repayments commence. Further, the Government has expanded the scope and quantum of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme several times, with the sunset date postponed to 31.3.2023. As the sovereign support available under the scheme would have enabled many firms to tide over the stress temporarily, the exact credit profile of such entities would become clear only as the support unwinds. Consequentially, a clear picture of the asset quality of the lending institutions will emerge as the impact of the above mentioned measures start to recede. RBI has stated that hence, it is imperative for the banks not to be complacent and address the emerging stress in such accounts early, distinguishing between viable from non-viable firms. The mechanisms for the same could range between formal bankruptcy</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			proceedings to more informal and expedited out-of-court arrangements. The framework under the IBC and the other extant statutory resolution mechanisms if effectively leveraged will play a significant role in this regard.		
11	10	The Committee understand that the EXIM Bank provides financial assistance to exporters and Importers and functions as the principal financial Institution for coordinating the working of Institutions engaged in financing export and Import of goods and services with a view to promoting the country's International trade. The Committee are of the opinion that the EXIM bank should be adequately equipped with credit skills and sufficiently capitalized in the light of the current geo-political situation, so as to efficiently compete with other countries such as China in financing projects across countries especially in Africa and facilitate globalization of Indian businesses, which will go a long way in making a difference to	<p>Exim Bank has been capitalized sufficiently during the past few years. Government has infused capital by way of direct equity contribution, and by way of issuing Special Government of India (GOI) Securities. Over last five years, an amount of ₹9,050 crore has been infused as capital in Exim Bank by GOI including ₹750 crore in the FY 2021-22. The same may be corroborated by looking at Capital Adequacy Ratio of the Institution which, at the end of FY 2021-22, stood at 30.49 percent as against minimum requirement of 9 percent stipulated by Reserve Bank of India (RBI).</p> <p>With regard to the credit processes and skills, it is informed by Exim Bank that the processes and systems of Exim Bank related to credit delivery and managing credit risks have evolved considerably with the time. Exim Bank has in place a Credit Risk Management Committee (CRMC) which has cross-functional representations. The CRMC is tasked with management and control of credit risks on a Bank-wide basis. Bank also has in place, an advanced Credit Risk Model (CRM) that enables a broad-based credit decision support by incorporating a range of qualitative as well as quantitative parameters/measures, and internal credit grading of borrowers depending on Credit Risks. The model helps in evaluation of risk of a borrower at an enterprise level as well as facility risk. The model is evolved/updated regularly in line with the changing economy and practices.</p>	Accepted	Nil

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Indian companies with global aspirations.	Further, Exim Bank employs staff comprising management graduates, chartered accountants, bankers, economists, documentation experts, engineers, linguists, and IT Specialists to look after different verticals and functions of the Bank. The Bank organizes various training programmes for its staff facilitating continuous upgradation of skills of its staff. Officers are also nominated for customized training programmes and seminars including e-learning, aimed at enhancing skill sets for the specialized portfolios.		
12	11	The Committee understand that NaBFID has been established to address market failures that stem from the long term, low margin and risky nature of Infrastructure financing which needs patient capital. The Committee are informed that Rs.20000 crore has been given as equity support and another Rs 5000 crore will be given as grant and are further informed that in the first quarter of the next fiscal, loans will be sanctioned. The Committee would like to emphasize on the need for providing NaBFID with sufficient equity capital for it to borrow and expand its balance sheet appropriately and provide debt financing for Infrastructure projects. The Committee believe	Capital support of ₹20,000 crore has been released to the Institution on 31.1.2022 as part of budgetary allocation. Further, in terms of section 21 (2) of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021, a grant of ₹5,000 crore has also been released on 31.3.2022 in lieu of potential savings from issuance of tax-free bonds. As informed by National Bank for Financing Infrastructure and Development, with the support of above grant and existing capital, as per the extant All India Financial Institution (AIFI) guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and based on the rating of borrower, the Institution could build fund & non-fund portfolio of about ₹2,00,000 crore over a period of time.	Accepted	Nil

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		that it is essential to achieve the objective with which the Development Finance Institution (DFI) has been set up in the first place i.e. to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India, including development of the bonds and derivatives markets necessary for Infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure.			
13	12	The Committee note that the Government has proposed setting up 75 Digital Banking Units (DBU) in 75 districts across India through Scheduled Commercial Banks in an attempt at a major push towards the growth of digital economy. DBUs have the potential to open up the rural market for service providers besides providing a boost to credit flow, as they would be cheaper to establish and provide better customer experience added by technology. The Committee further note the announcement that hundred percent of 1.5 lakh	In pursuance to the budget announcement to set up 75 Digital Banking Units (DBUs), a 'Committee for establishment of DBUs' was set-up by RBI to outline a roadmap for establishment of DBUs. DBUs will be specialized fixed-point business units having digital infrastructure for delivering digital banking products & services in both self-service and assisted mode in an efficient, paperless, secured and connected environment. Based on the recommendations of the Committee of RBI, the guidelines on 'Establishment of Digital Banking Units' were issued <i>vide</i> RBI circular dated 7.4.2022 and is available in Public Domain. The circular provides the details of the range of services that will be offered in a DBU. In addition to ensuring physical security of the infrastructure of the DBU, all banks have been advised to ensure adequate safeguards for cyber security of the DBUs. The circular <i>inter alia</i> requires the DBUs to create awareness among their customers by offering hands on customer education on safe digital banking practices and customer grievance redressal mechanism.	Accepted	Nil

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		<p>post offices will come on the core banking system enabling financial Inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs and will also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts which will enable Interoperability and enhance financial Inclusion. The Committee take note of these steps towards enhancing the digital Infrastructure and financial Inclusion but recommend these to be supplemented with adequate awareness programmes so that the citizens don't fall prey to the rising number of online frauds, and they are safeguarded from unauthorised electronic banking transactions. Whenever such digital frauds are reported by the victims, the onus for prompt redressal should be on the concerned bank/financial Institution and the customer should not be left in the lurch running from pillar to post for</p>	<p>As per the information received from RBI, the services offered by DBUs will be covered under the scope of the Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 and the customers can approach CMS portal for grievance redressal.</p> <p>Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 provide cost-free redressal of customer complaints involving 'deficiency in services' including the unauthorised electronic fund transfer rendered by entities regulated by RBI, if not resolved to the satisfaction of the customers or not replied within a period of 30 days by the Regulated Entity (RE). There is no limit on the amount in a dispute that can be brought before the Ombudsman for which the Ombudsman can pass an Award. However, for any consequential loss suffered by the complainant, the Ombudsman shall have the power to provide a compensation up to Rs.20 lakh, in addition to, up to Rs.1 lakh for the loss of the complainant's time, expenses incurred and for harassment/mental anguish suffered by the complainant. The complaints under the Scheme made online shall be registered on the Complaint Management System (CMS) portal (https://cms.rbi.org.in). The RE will not have the right to appeal in cases where an Award is issued by the Ombudsman against it for not furnishing satisfactory and timely information/documents.</p> <p>Onus of the prompt redressal of the grievances will be guided by the RBI circular dated 6.7.2017 which lays down guidelines on limiting the liability of customers in unauthorised electronic banking transactions stating that the burden of proving customer liability in case of unauthorised electronic banking transactions shall lie on the bank.</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		grievance redressal. The Banking ombudsman under the aegis of RBI should play pro-active and customer-friendly role in this regard.	<p>RBI and Offices of RBI Ombudsmen are engaged in customer awareness on the following areas:</p> <p>(a) Making customer aware of RBI instructions on frauds in electronic banking transactions by having a re-run of the campaigns on its regulations limiting the liability of customers in fraudulent electronic banking transactions;</p> <p>(b) Making customer aware of the RB-IOS as an integrated ombudsman scheme for all the customers of digital financial services offered by entities regulated by RBI (bank as well as non-bank payment system participants);</p> <p>(c) A multi-media campaign on RB-IOS, 2021 is being carried out at Pan-India level;</p> <p>(d) Campaigns on Safe Digital Banking focusing on UPI frauds and AEPS are also being carried out.</p> <p>All these campaigns are aired on Doordarshan and All India Radio, and in other national/local dailies to help in reaching the rural areas. These campaigns also form a part of the popular TV series "Kaun Banega Crorepati", which is widely watched by public in rural areas.</p> <p>75 locations have been finalized by RBI in consultation with IBA. All the DBUs identified are in advance stages of being operationalized. It is envisaged that DBUs will primarily help in creating awareness and lessening the hesitation among customers towards availing digital financial services along with deepening of the digital financial inclusion in the country. As a part of promoting cyber security awareness, it is mentioned that the Bank operating a DBU will take following measures for increasing the awareness and imparting cyber education to the customers:</p>		

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> (i) Educate the Customers visiting the DBU not to share sensitive details of their accounts & Cards, login credentials, PIN etc. to unknown persons by displaying Banners in DBU and messages through Mobile Apps, WhatsApp, SMS and Email etc. (ii) Conduct Cyber Security awareness on phishing, hacking, spoofing, smishing, Denial of Service attack etc. may be spread through electronic media in vernacular language. Customer will be made aware for Do's and Don'ts when they visit the Digital Banking Unit- DBU. (iii) Cyber Security Video on DBU ATM screens or on the video wall installed in DBU lounge (iv) Random quiz in DBUs on cyber security awareness (v) Guidance on customer grievance redressal procedures on digital frauds. 		
14	13	The Committee further desire that wide publicity may be provided for the grievance redressal mechanism for facilitating better customer service and instilling trust in the users as a large proportion of population has initial inhibitions and apprehensions in making the shift towards digital economy. The systems and procedures need to be strengthened so that online frauds are minimised and in case of an online mishap the citizens need to be adequately aware and	<p>RBI has informed that its Department of Communication has been regularly carrying out Public Awareness Campaigns on monthly basis - by way of thematic multi-media campaigns, participation in unique properties on television, and social media campaigns. These campaigns are done through various channels such as television, radio, cinema theatres, websites, SMS, hoardings, print medium, Twitter, Facebook etc. Selection of all these campaigns in various channels is done keeping in view the viewership in the rural areas.</p> <p>Recently, RBI did campaigns on Financial Literacy Week under the umbrella name 'go digital, go secure'. A multi-media campaign on RB-IOS, 2021 was also carried out to convey the process of grievance redressal mechanism. Various other multi media campaigns and social media campaigns conducted by RBI</p>	Accepted	Nil

S. No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		informed through wide publicity via prominent advertisements, street plays, seminars, posters etc. especially in rural areas as to what their course of action should be to minimise their liability and be assured that their money is safe for the Indian economy to make a significant shift towards being digital.	include, inter alia, a 360° campaign on Banking Ombudsman, a multi-media campaign on Banking Facilities for Senior citizens, Customer's Limited Liability, Safe Digital Banking, Cyber Security, Digital Payments Awareness Week, Setting limits on Cards, Convenience of Digital Banking, Fictitious offers, Identity thefts, registering mobile number and email with bank, Caution message against unauthorised digital lending platforms/ mobile Apps, fraudulent calls/messages offering KYC Updation, non-sharing of OTP, PIN and bank account details etc.		

Annexure-II

Food subsidy released by DFPD to FCI and States operating the Decentralized Procurement Scheme during previous five years and current financial year:

(Rs. in crore)

Year	FCI		DCP States	Total Subsidy Released
	Actual subsidy released*	Net subsidy released after adjustment of NSSF Loan	Subsidy Released	
	(1)	(2)	(3)	(4 = 1+3)
2017-18	*101981.69	61981.69	38000	139981.69
2018-19	*140098.00	70098	31029.49	171127.485
2019-20	*119164.02	75000	**44944.35	164108.37
2020-21	462789.00	##462789.00	66901.77	529690.77
2021-22	208929.00	208929.00	79789.54	288718.54
2022-23 (as on 31.5.2022)	25000.00	25000.00	16.54	25016.54

*Includes an amount of NSSF loan of Rs.40,000 crore in FY 2017-18, Rs.70,000 crore in FY 2018-19 & Rs.44,164.02 crore in FY 2019-20.

**The RE, 2019-20 was Rs.33,508.35crore. Total release includes Rs.11,436crore released to DCP states (from NSSF loan to FCI) & equivalent amount was reimbursed to FCI during FY 2020-21from DCP head.

##Out of Rs.4,62,789.00crore, Rs.3,39,256.00 crore were utilized for repayment of entire NSSF Loan of FCI on 31.03.2021

Annexure-III

Statement showing the subsidy released to DCP States during the last 5 years:

(Rs.in crore)

S. No.	Name of the State	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	Andhra Pradesh	6060.17	4542.57	7404.42	8424.72	9323.38
2	Bihar	4535.11	2291.68	2535.71	4117.33	7671.90
3	Chhattisgarh	4272.36	3303.19	4628.11	7193.13	9047.77
4	Gujarat	-	9.31	69.03	9.24	749.43
5	Karnataka	166.95	417.53	205.79	323.99	1682.12
6	Kerala	782.06	620.23	469.30	1214.98	1777.86
7	Madhya Pradesh	8113.23	6026.97	8888.39	11946.44	14420.62
8	Maharashtra	583.66	0.00	1920.17	2555.74	4082.07
9	Odisha	5133.57	4651.01	5807.45	8985.73	7892.69
10	Punjab	796.33	1722.33	1612.09	1761.53	2047.53
11	Tamil Nadu	651.70	1136.61	3242.79	3109.76	6250.93
12	Telangana	3853.71	2559.31	4858.89	6879.59	7665.02
13	Uttarakhand	860.11	329.8	903.12	1371.33	1554.43
14	West Bengal	2042.30	3279.69	2194.86	8792.03	5421.34
15	Jharkhand#	-	-	-	3.66	-
16	Tripura	-	-	-	29.79	15.58
17	DBT	148.74	139.25	204.24	182.78	186.87
	Total	38000	31029.48	44944.36	66901.77	79789.54

Jharkhand was DCP for KMS 2016-17 (only for 1 district) 2017-18 (only for 5 District), 2018-19 (only for 6 District). They have adopted Non-DCP in KMS 2019.